कंपनी अधिनियम, 2013

के तहत निगमित

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल ऊर्जा कंपनी लिमिटेड

की

बहिर्नियमावली

I . कंपनी का नाम टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल ऊर्जा कंपनी लिमिटेड

II. पंजीकृत कार्यालय

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होगा ।

III. **उद्देश्य**

(क)कंपनी के गठन के बाद इसके मुख्य उद्देश्यः

1. उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का नियोजन, प्रोत्साहन, विकसित करना, स्वामित्व, प्रचालन, अनुरक्षण , बिक्री और पट्टे पर देना।
2. परियोजनाओं का अन्वेंषण,परिकल्प एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, निर्माण, उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की बिक्री करना।
3. स्वयं या संयुक्त साझेदारी के साथ सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करना।
4. विद्युत वितरण इकाइयों को अन्य लाभार्थियों या अन्य पावर ट्रेडिंग कंपनियों या किसी अन्य संस्थाओं को विद्युत का क्रय एवं विक्रय करना ।
5. ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय रूपों में जलाशयों, बांधों या भूमि पर स्वयं या अन्य संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में जैसा भी संभव हो, की योजना बनाना, विकसित करना, स्वामित्व ग्रहण करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना, और उपरोक्त नवीकरणीय परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत का व्यापार करना।
6. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, योजना बनाना, बढ़ावा देने, विकास, प्रचालन एवं सभी प्रकार के संयंत्रों के रखरखाव जो जल और नवीकरणीय क्षेत्र से संबंधित हों, विद्युत के पारेषण, वितरण और व्यापार सहित प्रबंधन सलाहकारों के कार्यों को आगे बढ़ाना।

ख) खण्ड –III क में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के आवश्यक मामले :

चार्टर्स, रियायतें आदि प्राप्त करना

1. कंपनी अथवा इसके सदस्यों के हितों में वृद्धि करने के प्रयोजन से भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरण,या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवस्था कायम करना, भारत सरकार, या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के चार्टर, सब्सिडी, ऋण, क्षतिपूर्ति, अनुदान, अनुबंध, आदेश, अधिकार, प्रतिबंध, विशेषाधिकार, लाइसेंस या रियायतें जो भी हो प्राप्त करना।

धन उधार लेने की शक्ति

2. कंपनी के कारोबार के लिए वित्त पोषण के प्रयोजन से प्रतिभूति या बंधक या उपक्रम पर प्रभारित अन्य प्रतिभूति या कंपनी की गैर माँगी पूंजी सहित सभी या किन्ही संपत्तियों सहित या उनके बिना धन उधार लेना या जमा करना तथा ऐसी प्रतिभूतियों को

बढ़ाना, घटाना या भुगतान करना ।

संपत्तियों का अधिग्रहण करना एवं पट्टे पर लेना

3. किसी भी कारोबार को बढाने के प्रयोजनों से किसी भी संपत्ति या हित की खरीद, पट्टे, विनिमय, किराया, या अन्यथा कारखानों, भवनों और सभी प्रकार के वाहनों, भूमि, अपार्टमेंट, संयंत्र, मशीनरी और किसी का वंशानुक्रम कार्यकाल या विवरण का अधिग्रहण करना।

व्यापार/कंपनियों का अधिग्रहण

4. किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, संघ, निगम या कंपनी के ऐसे व्यवसाय, आस्तियों, संपत्ति, साख, अधिकारों और दायित्वों का पूर्णतः अथवा आंशिक अधिग्रहण, कब्जा लेना जिसे करने के लिए कंपनी अधिकृत है।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकार आदि प्राप्त करना

5. कंपनी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने या विस्तारित करने हेतु कंपनी को शक्तियाँ, प्राधिकार, संरक्षण, वित्तीय और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए, आवश्यक या समीचीन कंपनी की शक्तियों को सक्षम करने के लिए विधानमंडल के आदेश या अधिनियम या प्राधिकरण से अधिनियम प्राप्त करना, आवेदन करना, मामलों का निस्तारण करना।
6. किसी ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, ब्रीवेट या आविष्कारों, लाइसेंस, रियायतों और इसी प्रकार के अन्य किसी रहस्य या किसी आविष्कार, जो कंपनी के किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने लायक प्रतीत होता हो, के विशिष्ट या गैर विशिष्ट या सीमित अधिकार प्रदान करने या जो कंपनी के किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है।

अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण संचालित करना

7. (क) वैज्ञानिक, तकनीकी या अनुसंधान प्रयोगों के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं और प्रयोगात्मक कार्यशालाओं की स्थापना कराना, अनुरक्षण करना और उनका संचालन करना अथवा अन्यथा सब्सिडाइज करना और सभी प्रकार के प्रयोग एवं परीक्षणों को सीधे या अन्य एजेंसियों के वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के सहयोग से संचालित करना ।

   (ख) सभी कार्मिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और छात्रावासों की स्थापना, रखरखाव और संचालन करना और प्रशिक्षण के लिए उचित व्यवस्था करना।

धन निवेश करना

8. शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य साधनों में, ऐसी शर्तों पर और इस प्रकार से धन निवेश करना जिसको कंपनी आवश्यक समझती हो।

संयुक्त उपक्रम शुरू करना

9. किसी कंपनी या निकाय या प्राधिकरण, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिसमे स्थानीय प्रशासन भी शामिल है, किसी व्यक्ति के साथ साझेदारी या संघ या सहकारी, या संयुक्त उद्यम में प्रवेश करना, कंपनी के व्यवसाय के संबंध में किसी भी संस्था का संचालन करना या उसमें शामिल होना।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रावधान करना

10. कंपनी में नियोजित या पूर्व में नियोजित कर्मचारी जिसमें उनके परिवार भी शामिल हैं, कंपनी द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीकों में सुधार एवं कल्याण के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना ।

संपत्ति बेचना

11. कंपनी के किसी उपक्रम या इसके किसी अंश को जैसा कंपनी उचित समझे, उसे बेच या नष्ट कर सकती है।

संविदाएं करना

12(क) कंपनी के किसी भी या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों, कंपनियों या अन्य संगठनों के साथ उपकरणों के क्रय और तकनीकी, वित्तीय या किसी अन्य सहायता के लिए करार एवं संविदाएं करना।

(ख) क्षतिपूर्ति और गारंटी के अनुबंध करना ।

शेयरों के लिए अभिदान करना

13. किसी भी सरकारी, प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा जारी किए गए शेयरों, स्टॉक, प्रतिभूतियों या अन्य समान साधनों के लिए सदस्यता लेना, सहमति देना, क्रय करना, या अन्यथा अधिग्रहण करना, निपटारा करना और सौदा करना।

बैंकों आदि में खाते खोलना

14. किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के साथ या किसी बैंक या बैंकर या वित्तीय एजेंसी में खाता खोलना और बैंकों में गैर वित्तीय लेन-देन की व्यवस्था करना और इसके साथ ही खातों में धन का भुगतान करना और धन वापस निकालना ।

अन्य कंपनियों को प्रोत्साहित करना

15. ऐसी किसी कंपनी का प्रवर्तन करना या प्रवर्तन में सहमत होना जिसका प्रवर्तन कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए वांछनीय एवं आवश्यक हो ।

16. व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए

आम तौर पर, किसी भी व्यवसाय को आगे बढाने के लिए या कंपनी की किसी भी संपत्ति या अधिकार को लाभदायक बनाने के मूल्य को बढ़ाने के लिए जिसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणना की जाती है एवं जो कंपनी की किसी भी वस्तु के संबंध में आसानी से उपयोग किया जा सकता है ऐसी सभी अन्य चीजें करना जो उपरोक्त वस्तुओं या उनमें से किसी की भी प्राप्ति के लिए आकस्मिक या अनुकूल मानी जा सकती हैं ।

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से एक उद्यमी के रूप में कार्य करना

17. भारत सरकार/राज्य सरकार की ओर से आर्थिक निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान करना और ऐसे निवेशों को प्रारम्भ करना या प्रारम्भ करने में सहायता प्रदान करना।

अग्रिम धन देना

18. संपत्ति या अचल संपत्ति को बंधक रखकर या बैंक गारंटी के बदले अग्रिम धन देना और उन शर्तों पर जैसा कंपनी ठीक समझें भविष्य के माल की आपूर्ति और सेवाओं के बदले अग्रिम धन देना ।

सहायक कंपनियों द्वारा लेन-देन किए जा रहे माल का सौदा करना

19. कंपनी की सहायक कंपनियों द्वारा निर्मित, उत्पादित या व्यवहार की जा रही सभी वस्तुओं, माल और वस्तुओं में किसी भी रूप में जैसा भी हो, ट्रेडिंग और सौदा करने का कारोबार चलाना ।

IV सीमित देयता

सदस्यों की देयता सीमित है एवं यह देयता उनके द्वारा धारित अंश के आधार पर भुगतान न की गई धनराशि यदि कोई है, तक सीमित है ।

V. शेयरपूँजी

कंपनी की शेयर पूंजी 50,00,00,000 रुपए है जो 5,00,00,000 इक्विटी शेयर्स, प्रत्येक का मूल्य रु. 10/- में विभाजित है।

VI हम, विभिन्न लोग, जिनके नाम एवं पते अभिदानकर्ताओं में दिए गए हैं, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुपालन में कंपनी में शामिल होने के इच्छुक हैं, तथा हमारे नामों के समक्ष दिए गए क्रमश:कंपनी के शेयरों को धारण करने हेतु सहमत है: -

क्र.सं.	**अभिदानकर्ताओं का विवरण**				
	अभिदानकर्ताओं के नाम, पते, विवरण एवं व्यवसाय	डिन/पैन /पासपोर्ट नं.	लिए गए शेयरों की संख्या	डीएससी	दिनांक
1	श्री सुरेश चन्द्र बलूनी 175, फेज-1, इंजीनियर् इन्कलेव जी.एम.एस. रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001 एनए इंडिया	08511540	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	सुरेश चन्द्र बलूनी	29/11/ 2023
2	श्री भूपेन्द्र गुप्ता, हाउस न. सी-6/204, पीडब्ल्युओ कॉम्पलैक्स सेक्टर-43, गुडगॉव, हरियाणा 122009 एनए इंडिया	06940941	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	भूपेन्द्र गुपता हाउस	29/11/ 2023
3	श्री अतुल भूषण गोयल टी-IV/24 टीएचडीसी कालोनी, बाईपास रोड ऋषिकेश, उत्तराखण्ड 249201 ऋषिकेश, देहरादून, भारत	एएटीपीजी1682 के	1 इक्विटी 0प्राथमिकता	अतुल भूषण गोयल	29/11/ 23
4	यूजेवीएन लिमिटेड संदीप सिंघल उज्जवल महारानी बाग, देहरादून उत्तराखण्ड- 248006 एनए भारत	06615837	2599999 इक्विटी 0 प्राथमिकता	संदीप सिंघल	29/03/ 2023

5	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड राजीव विश्नोई, भागीरथी भवन टॉप टैरेस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड- 249001 एनए भारत	08534217	7399996 इक्विटी 0 प्राथमिकता	राजीव कुमार विश्नोई	29/11/2023
6	श्री जुधिष्ठिर बेहेरा, 4/14, टीएचडीसी कालोनी, प्रगतिपुरम बाईपास रोड ऋषिकेश उत्तराखण्ड 249201 एनए इंडिया	08536589	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	जुधिष्ठिर बेहेरा	23/03/2023
7	श्री शैलेन्द्र सिंह, कौशल, गलेन-मियर इस्टेट लॉग वूड शिमला अर्बन(टी) हिमाचल प्रदेश 171001, शिमला जी.पी.ओ., शिमला भारत	10191941	1 इक्विटी 0 प्राथमिकता	शैलेन्द्र सिंह कौशल	23/03/2023
	लिए गए कुल शेयर		10000000 इक्विटी 0 प्राथमिकता		

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल ऊर्जा कंपनी लिमिटेड

के

अंतर्नियम

व्याख्या क्लाज

1. संस्था के बहिर्नियमों और इन अंतर्नियमों की व्याख्या में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का,जब तक विषय या उसके सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित तात्पर्य है:-

''अधिनियम''

''अधिनियम '' से तात्पर्य भारत में समय-समय पर लागू यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 से है जिसमें कंपनी के संबंध में वैधानिक प्रावधान किए गए हैं ।

'मण्डल' या**'निदेशक मण्डल'**

'मण्डल' या 'निदेशक मण्डल' से तात्पर्य कंपनी के निदेशकों के संयुक्त निकाय से है ।

''पूंजी''

''पूंजी''से तात्पर्य कंपनी के उद्देश्यों के लिए फिलहाल बढ़ाई गई या बढ़ाए जाने के लिए प्राधिकृत पूंजी से है।

'अध्यक्ष'

'अध्यक्ष' से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष से है।

''कम्पनी''

''कम्पनी'' से तात्पर्य से टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल ऊर्जा कंपनी लिमिटेड है ।

'निदेशक'

'निदेशक' से तात्पर्य कम्पनी के मण्डल में नियुक्त किए गए निदेशकों से है।

'लाभांश'

'लाभांश' में कोई भी अन्तरिम लाभांश सम्मिलित हैं ।

'निष्पादक'या**'प्रशासक'**

'निष्पादक'या**'प्रशासक'** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने किसी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट या प्रशासन का पत्र, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किया हो ।

''असाधारण आम बैठक ''

''असाधारण आम बैठक '' से तात्पर्य वार्षिक आम बैठक के अलावा सभी सामान्य बैठकों से है।

'सरकार'

'सरकार'से तात्पर्य राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से है।

'माह'

‘माह‘ का अर्थ कैलेन्डर माह से है।

कार्यालय‘

कार्यालय‘ से तात्पर्य कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से है।

‘’व्यक्ति’’

‘’व्यक्ति’’ में कारपोरेशन शामिल है ।

"प्रमोटर"

"प्रमोटर" का अर्थ टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड से है, जिसमें उनके उत्तराधिकारी भी शामिल हैं

'रजिस्टर‘

'रजिस्टर‘ का तात्पर्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में रखे गए सदस्यों के रजिस्टर से है।

'रजिस्ट्रार‘

'रजिस्ट्रार‘ से तात्पर्य अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार से है जो कंपनियों के पंजीकरण की ड्यूटी का निर्वहन करता हो और कंपनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार्यों में अपनी सेवाएं देता हो ।

इन नियम या ‘विनियम‘

‘इन नियमों‘ या‘विनियमों‘ का तात्पर्य मूलरुप से निर्मित या समय-समय पर परिवर्तित इन विनियमों के अंतर्नियमों से है तथा जहाँ संदर्भ में ऐसा आवश्यक हो, बहिर्नियमों को शामिल करता है ।

मुहर:

"मुहर"से तात्पर्य कम्पनी की सामान्य मुहर से है ।

"धारा"

जहां भी "धारा" का उल्लेख किया जाता है उसका तात्पर्य कंपनी अधिनियम के तहत धारा है।

"शेयर"

"शेयर" से तात्पर्य कंपनी की शेयर पूंजी में एक शेयर से है और इसमें स्टॉक शामिल होता है ।

लिखित

लिखित में मुद्रण और लिथोग्राफी या दिखाई देने वाले शब्दों के रूप में प्रस्तुत करने या दिखाने की विधा शामिल है।

अधिनियम में दिए गए अर्थ के समान अंतर्नियम में मानना

जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में दिए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में दिया गया है ।

सारणी **"च"**लागू नहीं

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची की सारणी 'च ' में दिए गए विनियम कंपनी पर लागू होंगे और इसके विनियमों का निर्माण करेंगे, जब तक कि इसके बाद उन्हें स्पष्टतया और विहित रूप से हटा न दिया गया हो, संशोधित कर दिया गया हो या परिवर्तित कर दिया गया हो ।

कम्पनी इन अंतर्नियमों के द्वारा **सुशासित** होगी **:**

3. कम्पनी प्रबंधन तथा उसके सदस्यों और प्रतिनिधियों के अनुसरण के लिए विनियम, उपर्युक्त के अध्यधीन होंगे तथा इन अंतर्नियमों में बदलाव करने या कुछ नया जोड़ने के लिए अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट या अनुमत: विशेष संकल्प द्वारा किया जा सकेगा, जैसा कि इन अंतर्नियमों में दिया गया है ।

कंपनी का प्रकार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71)

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) या इसके बाद किन्हीं संशोधनों में दिए गए अर्थ के अनुसार यह कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है ।

शेयर पूंजी एवं **अधिकारों की भिन्नता**

पूंजी, **एवं शेयर**

5. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी समय- समय पर कंपनी के बहिर्नियमों के खण्ड **V** में निर्धारण के अनुसार होगी ।

शेयरों का आबंटन

6. **अधिनियम के प्रावधानों और इन अंतर्नियमों के अध्यधीन शेयर निदेशक मण्डल के नियंत्रण में होंगे जो इन्हें आबंटित कर सकते हैं या अन्यथा ऐसे** व्यक्तियों हेतु एवं **ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर इनका निपटारा कर सकते है जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो और किसी व्यक्ति** को किसी **शेयर के सममूल्य या प्रीमियम पर और ऐसे विचार के लिए जैसा निदेशक उपयुक्त समझते हों,** दे **सकते हैं।**

सदस्य का प्रमाण-पत्र का अधिकार

प्रमाणपत्र

7. (i) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज है, आवंटन के बाद दो महीने के भीतर या स्थानांतरण या ट्रांसमिशन के पंजीकरण के लिए आवेदन के एक महीने के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो कि जारी करते समय शर्तें रखी गई हों, में प्राप्त करने का हकदार होगा,
   (क) बिना किसी शुल्क के उनके सभी शेयरों के लिए एक प्रमाण पत्र या
   (ख) अपने एक अथवा अधिक शेयर के लिए प्रथम प्रमाण पत्र जारी होने के बाद बीस रूपये के भुगतान पर प्रत्येक के लिए अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते है।
   (ii) शेयरों के प्रत्येक प्रमाण पत्र पर कंपनी की मुहर लगी होगी और इस पर जारी किए गए शेयरों की विशिष्ट संख्या तथा भुगतान की गई राशि विर्निदिष्ट होगी ।
   (iii) अनेक व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए शेयरों के लिए कंपनी एक से अधिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगी और अनेक धारकों में से किसी एक को शेयर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि सभी के लिए पर्याप्त माना जाएगा।

विरूपित होने, खोने या नष्ट हो जाने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र निर्गत करना

8(i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र क्षतिग्रस्त, विरूपित हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के लिए पृष्ठांकित करने हेतु उसके पीछे कोई स्थान नहीं बचता तो इसे कंपनी को वापिस करने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है और यदि कोई प्रमाण पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी की संतुष्टि के लिए इसका प्रमाण देने एवं जैसा कंपनी उचित समझे ऐसी क्षतिपूर्ति करने पर खोए हुए या नष्ट हुए प्रमाण पत्र के लिए पात्र पार्टी को इसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र दिया जा सकता है । अंतर्नियमों के अंतर्गत प्रत्येक प्रमाणपत्र बीस रुपये के शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाएगा।

(ii) अंतर्नियम 7 एवं 8 के प्रावधान कंपनी के डिबेंचर पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

शेयरों का हस्तांतण

शेयरों अथवा डिबेंचर का अंतरण एवं हस्तांतरण :

9.(i) बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अध्यधीन पंजीकरण करने से मना कर सकता है-

क) किसी शेयर का अंतरण, जिसका भुगतान पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं किया जा सकता जिसे वे स्वीकृति नहीं देते हैं; या

ख) शेयरों का ऐसा अंतरण जिस पर कंपनी का ग्रहणाधिकार है।

(ii) बोर्ड अंतरण के किसी लिखत को मान्यता देने से मना कर सकता है जब तक कि-

(क) अंतरण की लिखत धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रारूप में है;

(ख) अंतरण की लिखत के साथ शेयरों का प्रमाण पत्र होता है जिससे यह संबंधित है, और ऐसे अन्य साक्ष्य जिन्हें बोर्ड हस्तांतरण करने के लिए हस्तांतरणकर्ता के अधिकार को दिखाने के लिए उचित समझे ; तथा

(ग) हस्तांतरण की लिखत शेयरों के केवल एक वर्ग से संबंधित है ।

(iii) धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देने पर, अंतरणका पंजीकरण ऐसे समय पर और ऐसी अवधि के लिए रोका जा सकता है जैसा कि बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे:

बशर्ते कि ऐसा पंजीकरण किसी एक समय में तीस दिनों से अधिक या किसी भी वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिनों से अधिक के लिए नहीं रोका जा सकता ।

लॉक इन अवधि के दौरान

10. प्रमोटरों द्वारा रोकी गई इक्विटी कंपनी के निगमन की तारीख से 05 वर्ष की अवधि के लिए लॉक इन अवधि के अध्यधीन होगी। ऐसी अवधि जिस पर सहमति हुई हो, 05 वर्ष की समाप्ति के पश्चात, यदि कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स का निबटारा करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसा निबटारा समय –समय पर लागू संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तो के अध्यधीन होगा ।

अंतरण का रजिस्टर :

11. कंपनी शेयरों के अंतरण और डिबेंचरों के अंतरण के लिए एक रजिस्टर रखेगी जिसमें किसी शेयर या डिबेंचर के कई अंतरणों या हस्तांतरणों का विवरण प्रविष्ट किया जाएगा ।

अंतरण का निष्पादन:

12.(i) कम्पनी में किसी भी शेयर या डिबेंचर के दस्तावेज अंतरणकर्ता एवं हस्तांतरी दोनों के द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित किया जाएगा ।

(ii) अंतरणकर्ता तब तक शेयर धारक माना जाएगा जब तक कि हस्ताक्षरकर्ता का नाम सदस्यों या डिबेंचरधारकों के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता है ।

शेयरों का हस्तांतरण

13. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन अनुच्छेद 9में विहित कोई भी बात, कंपनी में शेयर धारक या डिबेंचर धारक के रुप में पंजीकृत करने की कम्पनी की किसी भी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी यदि शेयरों या डिबेंचरों का हस्तांतरण विधि के अनुसार किया गया है ।

पूंजी का परिवर्तन

पूँजी की वृद्धि :

14. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, कंपनी आम बैठक में शेयर पूँजी को शेयरों में विभाजित की जाने वाली ऐसी राशि, जो पारित संकल्प के अनुसार निर्धारित हो, के द्वारा बढ़ा सकती है।

नए शेयर :

15. नए शेयरों को निबंधन एवं शर्तों पर तथा उसके साथ जुड़े अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के साथ जारी किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी शेयर (अधिमान्य शेयर न हो) जारी नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा लाभांश, पूँजी या अन्यथा के रूप में कम्पनी में वोटिंग का अधिकार या अन्य अधिकार प्राप्त होते हों, जो अन्य शेयरों (अधिमान्य शेयर न हों) के धारकों के साथ जुड़े अधिकार के विषमानुपाती हो।

वर्तमान सदस्यों को शेयर्स कब ऑफर किए जाते हैं :

16. नए शेयर (पूंजी के पूर्व कथनानुसार बढ़ने के फलस्वरुप) अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए जा सकते हैं या निपटान किए जा सकते हैं ।

नए शेयर मूल पूंजी के भाग होंगे :

17. जारी करने की शर्तों या इन अंतर्नियमों द्वारा अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर, नए शेयरों के सृजन से निर्मित पूँजी मूल पूँजी का भाग मानी जाएगी और मांग एवं किस्तों का भुगतान, अंतरण एवं हस्तांतरण, जब्ती, ग्रहणाधिकार, अभ्यर्पण, वोटिंग एवं अन्यथा के सन्दर्भ में यहाँ निहित प्रावधानों के अध्यधीन होगी।

पूँजी की घटोत्तरी आदि :

18. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन कम्पनी समय-समय पर सामान्य संकल्प द्वारा पूँजी की घटोत्तरी करती है।

शेयरों का उप-विभाजन, रूपांतरण, समेकन और निरस्तीकरण:

19. धारा 61 के प्रावधानों के अध्यधीन, कंपनी साधारण संकल्प द्वारा, -

i. अपनी पूरी या किसी भी शेयर पूंजी को अपने मौजूदा शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों में समेकित और विभाजित करना;
ii. इसके सभी या किसी भी पूर्ण प्रदत्त शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित करना, और उस स्टॉक को किसी भी मूल्यवर्ग के पूर्ण प्रदत्त शेयरों में पुनर्परिवर्तित करना;
iii. अपने मौजूदा शेयरों या उनमें से किसी को भी ज्ञापन द्वारा तय की गई राशि से कम राशि के शेयरों में उप-विभाजित करना ;
iv. किसी भी शेयर को, जो संकल्प के पारित होने की तारीख में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया है या लेने के लिए सहमत नहीं है, को रद्द करना ।

वरीयता प्राप्त शेयर :

20. धारा 55 के प्रावधानों के अध्यधीन, कोई भी वरीयता प्राप्त शेयर, सामान्य संकल्प की मंजूरी से इस शर्त पर जारी किया जा सकता है कि उन्हें ऐसी शर्तों पर और इस तरह से भुनाया जा सकता है जैसा कि कंपनी शेयरों के जारी होने से पहले विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित करें।

बोनस शेयर :

21. कंपनी आम बैठक में सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस के भुगतान करने का निर्णय ले सकती है, यदि निदेशक मंडल के द्वारा ऐसी संस्तुति प्रदान की गई हो ।

अन्य प्रकार के शेयर जारी करना :

22. कंपनी अधिनयम, 2013 के प्रावधानों एवं वैधानिक संशोधनों और लागू प्रावधानों के अध्यधीन, यदि कोई हो, कंपनी शेयरधारकों को अन्य प्रकार के शेयर जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

सूचना

सदस्यों की मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर शेयरों को अधिग्रहण करने वाले व्यक्तियों को नोटिस -

23. सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणामस्वरूप शेयरों की पात्रता पाने वाले व्यक्तियों को उसके द्वारा दिए गए पते पर उन्हें नाम या उपनाम से संबोधित एक पूर्वदत्त पत्र के या मृतक के प्रतिनिधि के दिवालिया के समनुदेशिती के या ऐसे किसी विवरण के माध्यम से भारत में उस पते पर यदि कोई हो, जिसे ऐसा दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन से आपूरित किया गया था, या जब तक ऐसा पता न दिया गया हो तो ऐसे किसी भी तरीके से जैसा कि मृत्यु या दिवालिया न होने की दशा में दिया जाता, प्रेषित कर एक नोटिस दिया जा सकता है।

आस्तियों का वितरण :

24. यदि कंपनी परिसमाप्त होगी और सदस्यों के मध्य वितरण के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियां, समापन कार्रवाई के प्रारंभ में भुगतान की गई पूंजी, उपलब्ध परिसंपत्ति पूरी भुगतान की गई पूंजी को चुकाने के लिए

अपर्याप्त होगी, तो ऐसी परिसंपत्ति पूरी वितरित की जाएगी ताकि जितना नुकसान हो, सदस्यों को उसके अनुपात में वहन करना पड़े।

शेयरों को वापस खरीदना

25. संस्था के अंतर्नियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी किंतु अधिनियम की धारा 68 से 70 तक के प्रावधानों तथा अधिनियम के किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों या किसी अन्य विधि के अध्यधीन कंपनी अपने शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को वापस खरीद सकती है।

आम बैठकें

26.(**i**) जब भी निदेशक मण्डल उचित समझे**,** विशेष आम बैठक बुला सकता है ।

(**ii**) यदि किसी समय कोरम को पूरा करने वाले पदासीन निदेशक भारत में नहीं हैं**,** तो कंपनी का कोई भी निदेशक या कोई दो सदस्य उसी तरीके से विशेष आम बैठक बुला सकते हैं जैसे कि बोर्ड के द्वारा ऐसी बैठकें बुलाई जाती हैं।

आम बैठक की कार्यवाहियां

आम बैठकों की सूचना

27.i) कंपनी की आम बैठकों की सूचना कम से कम 21 दिनों पूर्वलिखित स्पष्ट नोटिस या इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम सेअधिनियम में किए गए प्रावधानों या नियमों द्वारा प्रदत्त विधि से दी जाएगी ।

ii) ऐसे 95 प्रतिशत सदस्य जो इस प्रकार की बैठक में वोट देने के पात्र हैं की लिखित एवं इलेक्ट्रोनिक मोड से दी गई सहमति से कम अंतराल के नोटिस पर भी आम बैठकबुलाई जा सकती है।

iii) बैठक के प्रत्येक नोटिस में आम बैठकों का स्थान, दिन, एवं समय स्पष्टरूप से दिया जाएगा और ऐसी बैठकों में किए जाने वाले कार्य का अभिकथन शामिल होगा ।

iv) कंपनी की प्रत्येक बैठक का नोटिस निम्नलिखित सभी को दिया जाएगा :-

क) कंपनी का प्रत्येक सदस्य, किसी मृतक सदस्य का वैधानिक प्रतिनिधि या दिवालिया हो गए सदस्य का समनुदेशिती;

ख) लेखा परीक्षक एवं कंपनी का लेखा परीक्षक; तथा

ग) कंपनी का प्रत्येक निदेशक ।

नोटिस देने मे चूक पारित संकल्प को अविधिमान्य नहीं करती

28.नोटिस देने में आकस्मिक चूक या किसी सदस्य या अन्य सदस्य जो किसी बैठक में भाग लेने हेतु इस तरह के नोटिस प्राप्त करने के पात्र हैं, के द्वारा इसकी प्राप्ति न होना ऐसी किसी बैठकों में पारित संकल्प को अविधिमान्य नहीं करती है।

आम बैठक के लिए कोरम

29. किसी भी **आम बैठक** में कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक के कार्य को आगे बढ़ाने के समय सदस्यों का कोरम पूरा नही हो जाता। अन्य बातों के होते हुए भी आम बैठकें कंपनी अधिनियम 2013

की धारा 103 के तहत निर्धारित की जाएंगी। जेवीसी के सदस्यों की किसी भी बैठक के लिए कोरम वैध रूप से केवल तभी गठित किया जाएगा जब टीएचडीसीआईएल का कम से कम 1 (एक) प्रतिनिधि और यूजेवीएनएल का 1 (एक) प्रतिनिधि बैठक के दौरान उपस्थित हो ।

यदि सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और यदि बैठक स्थगित कर दी जाती है, तो बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद नहीं है, तो उपस्थित सदस्यों को कोरम माना जाएगा।

आम बैठक का अध्यक्ष

30. बोर्ड का अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक आम बैठक की अध्यक्षता करने का पात्र है। यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है, या ऐसी बैठक के लिए निर्धारित समय के 15 मिनट के अन्दर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है या अध्यक्षता करने का अनिच्छुक है तो उपस्थित निदेशक अपने सदस्यों में से किसी एक को बैठक के अध्यक्ष के रुप में चुनेंगे। यदि किसी बैठक में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं है या ऐसी बैठक के लिए निर्धारित समय के 15 मिनट के अंदर कोई भी निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे।

बैठक का स्थगन

31(**i**) अध्यक्ष**,** ऐसी बैठक जिसमें पूरा कोरम उपस्थित हो, उनकी सहमति से समय एवं स्थान में परिवर्तन करते हुए बैठक को स्थगित करने का निर्णय ले सकता है।

(**ii**) जो बैठक स्थगित की गई है, उस बैठक के अधूरे रहे कार्यों के अलावा किसी भी स्थगित बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा ।

(**iii**) जब कभी भी कोई बैठक तीस दिनों या अधिक समय के लिए स्थगित होती है**,** तो ऐसी स्थगित बैठकों का नोटिस मूल बैठक के समान दिया जाएगा ।

(**iv**) ऊपर बताए गए के सिवाए और जैसा कि अधिनियम की धारा 103 के प्रावधानों में कहा गया है के अनुसार**,** ऐसे स्थगन एवं स्थगित बैठक में किए गए कार्य का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

मताधिकार

32.शेयरों की किसी श्रेणी या श्रेणियों पर किसी समय के लिए किन्हीं अधिकारों या प्रतिबंधों के अध्यधीन :

(क) जो सदस्य व्यक्तिगत रुप से उपस्थित है, उसका हाथ खड़ा करने पर एक मत होगा और;

(ख) मतदान पर, सदस्यों का मतदान अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। उपरोक्त के बावजूद, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के बावजूद, 26% मतदान अधिकार यूजेवीएनएल के लिए आरक्षित हैं।

i. बैठक में कोई सदस्य अपने मत का इस्तेमाल धारा 108 के अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम से एक बार ही कर सकता है ।
ii. संयुक्त धारकों के मामले में, वरिष्ठ सदस्य का मत जो अपना वोट स्वयं उपस्थित होकर या प्रॉक्सी के माध्यम से दे सकता है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों के अपवर्जन के लिए स्वीकार किया जाएगा ।
iii. इस प्रयोजन के लिए, वरिष्ठता का निर्धारण उस क्रम से किया जाएगा जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम दर्ज है ।

iv. विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति या जिसे न्यायालय ने आदेश द्वारा विकृत मस्तिष्क होने का आदेश जारी कर दिया हो, वह सदस्य अपनी समिति, अपने विधिक संरक्षक, एवं इस प्रकार की समिति या संरक्षक के द्वारा हाथ उठाकर स्वयं या प्राक्सी के माध्यम से मतदान होने पर अपना मत दे सकता है।

v. इसके अलावा अन्य कार्य जिसके लिए मत की प्रक्रिया की मांग की गई है, की कार्यवाही को मतदान होने तक लंबित कर दिया जाएगा ।

vi. कोई भी सदस्य आम बैठक में तब तक मत देने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह वर्तमान में कंपनी में उसके द्वारा शेयरों के रूप में सभी देनदारियों एवं रकम की अदायगी नहीं कर दी जाती ।

vii. बैठक या स्थगित बैठक के किसी भी मतदाता की योग्यता पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी सिवाए उसके जिसमें मत पर आपत्ति दर्ज एवं प्रस्तुत की गई हो तथा प्रत्येक मत को इस प्रकार की बैठक के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा तथा सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा ।

viii. समय से की गई इस प्रकार की आपत्ति की जानकारी बैठक के अध्यक्ष को दी जाएगी एवं जिसका फैसला अंतिम एवं निर्णायक होगा ।

प्रॉक्सी

33.(i)प्रॉक्सी और पावर-ऑफ-अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी, यदि कोई हो, की नियुक्ति करने वाल कोई लिखित दस्तावेज, जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या उस शक्ति या प्राधिकरण की नोटरीकृत प्रति, बैठक या स्थगित बैठक के होने के समय कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करनी होगी, जिस पर लिखित में नामित व्यक्ति मतदान करने का प्रस्ताव करता है, या मतदान के मामले में, मतदान के नियत समय से कम से कम 24 घंटे पहले; और इसके अभाव में प्रॉक्सी के लिखित दस्तावेज को वैध नहीं माना जाएगा।

(ii) प्राक्सी नियुक्त करने का लिखित दस्तावेज धारा 105 के तहत निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार होगा ।

(iii) प्राक्सी के लिखित दस्तावेज के माध्यम से नियमों के अनुसार दिया गया मत मान्य होगा, प्रमुख सदस्य(प्रिंसिपल) की पूर्व मृत्यु या विकृत मस्तिष्क के बावजूद या प्रॉक्सी या उस प्राधिकारी के निरसन के बावजूद जिसके तहत प्रॉक्सी बनाया गया था, या शेयरों का हस्तांतरण जिसके संबंध में प्रॉक्सी बनाया गया है।

बशर्ते कि ऐसी मृत्यु की लिखित में कोई सूचना न हो , विकृत मस्तिष्क , निरसन या स्थानांतरण कंपनी द्वारा अपने कार्यालय में बैठक या स्थगित बैठक के शुरू होने से पहले प्राप्त किया गया हो, जिस पर प्रॉक्सी का उपयोग किया जाना है।

पंजीकृत धारकों के अलावा कम्पनी शेयरों में किसी अन्य के हित को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं

34. इसमें अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, निदेशक उस व्यक्ति को जिसका नाम शेयर धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में दर्शाया गया है, इसका पूर्ण मालिक मानने के पात्र होंगे तथा तदनुसार ऐसे शेयर में (सक्षम कार्य क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा आदेशित या जैसा विधि द्वारा आवश्यक हो, को छोड़कर) किसी बेनामी ट्रस्ट या समान प्रासंगिक या अन्य दावे या हित को किसी व्यक्ति की तरफ से चाहे उसे इसका व्यक्त या निहित नोटिस हो या नहीं, मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

निदेशक मण्डल

कंपनी का प्रबंध निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा

35. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन कम्पनी का व्यापार निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा ।

निदेशकों की संख्या एवं निदेशकों की नियुक्ति

36.i) कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशको सहित कुल संख्या तीन(3) से कम तथा आठ (8) से अधिक नहीं रहेगी ।

ii) प्रारंभ में, कंपनी में 6 निदेशक होंगे। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष सहित निदेशक के रूप में 04 सदस्यों को नामित करने का हकदार है और यूजेवीएन लिमिटेड कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में 02 सदस्यों को नामित करने का हकदार है। निदेशकों की बाद की नियुक्ति को टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल द्वारा पारस्परिक रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा, जब तक कि पार्टियों का शेयरधारिता प्रतिशत क्रमशः 74:26 पर बना रहे।

iii) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं यूजेवीएनएल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम निदेशक होंगे:-

(1) श्री राजीव कुमार विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एचडीसीआईएल से नामित

(2) श्री भूपेन्द्र गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) एचडीसीआईएल से नामित

(3) श्री एल.पी.जोशी, कार्यपालक (निदेशक) टीएचडीसीआईएल से नामित

(4) श्री ए.बी.गोयल,कार्यपालक (निदेशक) टीएचडीसीआईएल से नामित

(5) श्री संदीप सिघंल, प्रबंध निदेशक, यूजेवीएनएल से नामित

(6) श्री सुरेश चन्द्र बलूनी, निदेशक (परियोजना) यूजेवीएनएल से नामित

iv) कंपनी के दो तिहाई निदेशक (कोई भी भिन्नता अगली उच्च संख्या में पूर्णांकित की जाएगी) जिनकी सेवा अवधि रोटेशन के आधार पर नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होगी, और इन्हें अधिनियम में अन्य किए गए प्रावधानों को छोड़कर कंपनी की आम बैठक में नियुक्त किए जाएंगे । निदेशकों की सेवानिवृत्ति पर रोटेशन का प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों के मामले में लागू नहीं होता।

v) कंपनी की प्रथम वार्षिक आम बैठक जो कि आम बैठक के पश्चात आयोजित की जाएगी जिसमें प्रथम निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे तथा प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के पश्चात, अवधि पूर्ण होने पर इस प्रकार के एक तिहाई निदेशक रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त किए जाएंगे ।

vi) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर वही निदेशक सेवानिवृत्त किए जाएंगे जिन्होंने अधिकतम कार्यालय अवधि पूर्ण कर ली हो लेकिन इनके मध्य में ऐसे निदेशक जो उसी अवधि को निदेशक नियुक्त किए गए यदि वे स्वयं सहमत नहीं होते, तो लॉट द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति निश्चित की जाएगी।

vii) वार्षिक आम बैठक जिसमें उपर्युक्तानुसार निदेशक सेवानिवृत्त होते हैं, तो कंपनी सेवानिवृत्त निदेशक को या अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके उक्त रिक्त पद को भर सकती है।

viii) प्रमोटर कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए निदेशक को किसी भी प्रकार की शर्तों पर ध्यान दिए बिना प्रमोटर कंपनी में उनका कार्यकाल समाप्त होने पर हटा दिया जाएगा जब तक कि प्रमोटर कंपनी निर्देश न दे। सेवानिवृत्त निदेशक पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे ।

अध्यक्ष

37. टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष कंपनी के अध्यक्ष होंगे एवं कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष होंगे ।

38. कंपनी के मामलों का प्रबंधन एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा किया जाएगा जो जेवीसी के बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव, और समय-समय पर आवश्यक किसी भी अन्य अधिकारी को बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हालाँकि, यूजेवीएनएल कंपनी में नियुक्ति के लिए यूजेवीएनएल में महाप्रबंधक या उससे ऊपर के पद के एक अधिकारी को नामित करने का हकदार है। इन पदों के अलावा, अन्य विभागों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मानव शक्ति को प्रमोटरों द्वारा प्रतिनियुक्ति की तारीख पर पार्टियों की हिस्सेदारी के अनुपात के आधार पर कंपनी में नियुक्त किया जाएगा।

अतिरिक्त,वैकल्पिक एवं नामित निदेशक की नियुक्ति

39. i) धारा 149 के प्रावधानों के अध्यधीन, निदेशक मण्डल किसी भी समय, समय –समय पर निदेशकों का कोरम पूरा करने हेतु किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर सकता है, किन्तु अतिरिक्त निदेशकों के साथ मिलकर बोर्ड के सदस्यों की संख्या अंतर्नियमों में निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का व्यक्ति केवल कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक के होने तक पदाधिकारी बना रहेगा लेकिन वह अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन कंपनी द्वारा उक्त बैठक हेतु निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा ।

ii) कंपनी का निदेशक मंडल किसी व्यक्ति को, जो कंपनी में किसी अन्य निदेशक हेतु वैकल्पिक निदेशक के पद पर न हो, को कम से कम तीन माह के लिए देश से बाहर होने के कारण अनुपस्थित निदेशक के स्थान पर वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है। वैकल्पिक निदेशक उस निदेशक की अनुमत अवधि से अधिक अवधि तक उस पद को धारण नहीं कर सकता तथा उसके देश वापिस लौट आने की दशा में वैकल्पिक निदेशक को वह पद छोड़ना होगा । यदि नियमानुसार मूल निदेशक का कार्यकाल उसके भारत लौटने से पहले पूरा हो जाता है, तो उसके स्थान पर अन्य नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त निदेशकों की स्वत: पुनर्नियुक्ति का प्रावधान मूल निदेशक पर लागू होगा, न कि वैकल्पिक निदेशक पर।

iii) निदेशक मण्डल कंपनी के इन अंतर्नियमों के अध्यधीन किसी भी विधि के प्रावधानों से अस्तित्व में आये नियम या करार के अनुपालन में किसी संस्थान द्वारा नामित व्यक्ति को निदेशक नियुक्त कर सकता है।

निदेशकों का पारिश्रमिक(नियुक्त किए गए, केवल पूर्णकालिक निदेशको के मामले में ही यह लागू है)

40. निदेशकों को कंपनी की आम बैठक में, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समय-समय पर निश्चित किए गए अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा । अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में भुगतान किए गए पारिश्रमिक के अलावा निदेशकों को यात्रा, होटल एवं उनके द्वारा किए गए अन्य खर्चो का उचित प्रकार से भुगतान किया जाएगा:-

    क. निदेशक मंडल की बैठक या अन्य बैठक या कंपनी की आम बैठक में उपस्थित होने के लिए आने व वापस जाने के लिए

    ख. कंपनी के व्यवसाए के सिलसिले में ।

    ग. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन निदेशकों द्वारा किए गए अतिरिक्त या विशेष कार्यो हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है ।

    घ. विभागीय निदेशकों को बैठक में शामिल होने हेतु सीटिंग शुल्क का भुगतान संबंधित विभागीय निदेशकों पर लागू सेवा नियमों से विनियमित किया जाएगा।

बोर्ड की शक्ति

41.**i)** निदेशक मंडल कंपनी के गठन एवं पंजीकरण करने में हुए व्यय का भुगतान कर सकते हैं ।

ii) निदेशकों को बैंक खाता खोलने की शक्ति प्राप्त है। सभी प्रकार के चैक, वचन पत्र,मसौदा, हुण्डी, विनिमय पत्र, अन्य समझौता लिखत, एवं कंपनी को अदा की जाने वाली सभी प्रकार के धन की प्राप्ति, निकासी, स्वीकार, पृष्ठांकित, या अन्य कृत्य, व्यक्ति, तथा उस तरीके से जैसा कि बोर्ड ने समय- समय पर संकल्प द्वारा निश्चित किया है, पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्राप्त है।

iii) अपने विवेक पर और अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, निदेशकों को कंपनी के द्वारा अधिग्रहित की गई किसी संपत्ति, अधिकार या विशेषाधिकारों या कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए या तो पूर्ण या आंशिक रूप से, नकद या बंधक रखने और ऐसे किसी भी बंधक का भुगतान करने की शक्ति होगी और ऐसे बंधक में या तो विशेष रूप से कंपनी की पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग पर और उसकी गैर आवश्यक पूंजी पर विशेष रूप से शुल्क लगाया जा सकता है या इस प्रकार से प्रचारित नहीं किया जा सकता ।

iv) निदेशकों के पास यह शक्ति होगी कि वे किसी ऐसी संविदा को पूर्णता सुरक्षित करें जो कि कंपनी ने अपनी पूरी संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग या अपनी तत्समयक अनावश्यक पूंजी को बंधक या प्रभारित करते हुए किया है। वे यह कार्य उस तरीके से करें जो उन्हें उचित प्रतीत होता है ।

v) निदेशकों के पास किसी भी सदस्य से, जहां तक कानून द्वारा अनुमत हो, अपने शेयरों या उसके कुछ अंश का समर्पण, सहमत निबंधन एवं शर्तो पर स्वीकार करने की शक्ति होगी ।

vi) निदेशकों के पास कंपनी से संबंधित किसी भी संपत्ति को स्वीकार करने और कंपनी के लिए ट्रस्ट में रखने के लिए, या जिसे लेने के इच्छुक हो या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, और ऐसे सभी कार्यो और चीजों को निष्पादित करने के लिए जैसा कि हो सकते हो, इस प्रकार के ट्रस्ट के संबंध में या ट्रस्टी एवं ट्रस्टियों को पारिश्रमिक प्रदान करना आवश्यक है, को करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

vii) निदेशकों के पास कंपनी या उसके अधिकारियों द्वारा या कंपनी के मामलों के संबंध में या अन्यथा किसी भी कानूनी कार्यवाही को शुरू करने, संचालित करने, बचाव करने, कंपाउंड करने या छोड़ने की शक्ति होगी साथ ही साथ किसी भी ऋण के भुगतान या संतुष्टि के लिए कंपाउंड और समय देने की शक्ति होगी,कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी दावे या मांगों के कारण और किसी भी मतभेद को भारतीय कानून के अनुसार या विदेशी कानून के अनुसार और या तो भारत या विदेश में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना और उस पर किए गए किसी भी अवार्ड का पालन करने और निष्पादन करने या चुनौती देने की शक्ति होगी।

viii) निदेशकों को धन चुकाने में असमर्थ/दिवालिया होने से संबंधित सभी मामलों में कंपनी की ओर से कार्य करने की शक्ति होगी ।

ix) निदेशकों के पास कंपनी को देय धन, कंपनी के दावों और मांगों के लिए पावती देने, निर्गत करने तथा अवमुक्त करने की शक्ति होगी ।

x) अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन निदेशकों के पास कंपनी की ऐसी धनराशि, जिसकी किन्हीं प्रतिभूतियों में तत्काल आवश्यकता न हो, का किसी भी मुद्रा में निवेश करने और उसका सौदा करने जैसा

कि वे समय-समय पर उचित समझें तथा समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करने एवं वसूलने की शक्ति होगी ।

xi) निदेशकों के पास कंपनी के नाम पर और कंपनी की ओर से किसी भी निदेशक या अन्य व्यक्तियों के पक्ष में, जो कंपनी के लाभ के लिए किसी व्यक्तिगत देयता को वहन कर सकते हैं या करने वाले हैं, को कंपनी की संपत्ति (वर्तमान और भविष्य) इस प्रकार गिरवी रखने की शक्ति होगीजैसा वे उचित समझें और ऐसे किसी भी बंधक रखने में बिक्री की शक्ति और इसी प्रकार की अन्य शक्तियां, प्रावधान, अनुबंध और समझौते आदि शामिल होंगे ।

xii) निदेशकों के पास शक्ति होगी कि वे भविष्य निधि और अन्य संघों, संस्थानों, निधियों या न्यासों को बनाएं और समय समय-पर उनमें अंशदान या योगदान करें और जैसा बोर्ड उचित समझे, अनुदेश देने वाले और मनोरंजन के स्थानों, अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा और अन्य सहायता उपलबध कराए या इनमें अंशदान दे या ऐसे स्थानों पर अपना योगदान दे ।

xiii) निदेशकों के पास प्रबंधकों, अधिकारियोंएवं अन्यकर्मचारियों को स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवाओं में नियुक्त करनेऔर अपने विवेकाधिकार से उन्हें हटाने या निलंबित करने की शक्ति होगी, जैसा वे समय-समय पर उचित समझें। साथ ही उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करने एवं उनके वेतनों या परिलब्धियों को नियत करने तथा ऐसे मामलों में प्रतिभूति एवं ऐसी राशि, जिसे वे उचित समझते हैंका अधिग्रहण करने की भी शक्ति होगी तथा समय-समय पर भारत में किसी निर्दिष्ट स्थान में कम्पनी के प्रबंधनएवं लेन-देन के मामलों का प्रावधान करने, जैसा वे उचित समझें, की भी शक्ति होगी,अगले तीन उपखंडों में निहित प्रावधानों के लिए इस उपखंड द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xiv) निदेशकों को किसी भी समय और समय-समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा कंपनी की मुहर के तहत, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कंपनी के अटॉर्नी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी, ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शक्तियों के साथ, प्राधिकारियों और विवेकाधिकार (इन वर्तमान नियमों के तहत बोर्ड में निहित या प्रयोग करने योग्य से अधिक नहीं और कॉल करने की शक्तियों को और ऋण लेने और धन उधार लेने की शक्ति को छोड़कर) और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड समय-समय पर उचित समझे और ऐसी कोई भी नियुक्ति (यदि बोर्ड उचितसमझे) सदस्यों या किसी स्थानीय बोर्ड के किसी सदस्य के पक्ष में या किसी कंपनी के पक्ष में या शेयरधारकों,निदेशकों के पक्ष में की जा सकती है। नामांकित व्यक्ति,या किसी कंपनी या फर्म या निकाय या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधक,चाहे वह बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नामित हो सकता है और ऐसे किसी भी मुख्तारनामा में ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा के लिए ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं जिन्हें बोर्ड ठीक समझे और इसमें ऐसे किसी प्रतिनिधि या अटॉर्नी को उप-प्रतिनिधि बनाने की शक्तियाँ हो सकती हैं, जो तत्सम्यक निहित शक्तियाँ, प्राधिकार और विवेकाधिकार रखते हों ।

xv) कंपनी के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त मामलों में से किसी के संबंध में या उसके संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन या अन्यथा निदेशकों के पास ऐसी सभी वार्ताओं और अनुबंधों को करने और ऐसे सभी अनुबंधों को रद्द करने और बदलने और निष्पादित करने की शक्ति होगीऔर कंपनी के नाम और कंपनी की ओर से ऐसे सभी कार्य, करार और चीजें करना जो वे समीचीन समझें।

xvi) समय-समय पर निदेशकों के पास कंपनी, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवसाय के नियमों के लिए उपनियम बनाने, बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी।

उधार लेने की शक्तियां

उधार लेने की शक्ति

42. अधिनियम की धारा 179 के प्रावधानों के अध्यधीन निदेशक मण्डल की बैठक में समय-समय पर पारित संकल्प के अनुसार निदेशक मंडल :

i) कंपनी के उद्देश्य के लिए किसी धनराशि को उधार देना एवं /या प्राप्त करना ।

ii) देश या देश के बाहर डिबेंचर सहित प्रतिभूतियां जारी करना ।

रियायत या विशेषाधिकार के साथ जारी करना :

43. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, बॉण्ड छूट, प्रीमियम या अन्यथा तथा किसी विशेषाधिकार के साथ, शेयरों के प्रतिदान, समर्पण, आहरण एवं आवंटन के रूप में जारी किए जा सकते हैं ।

मण्डल की कार्यवाही

निदेशकों की बैठक :

44. निदेशक मण्डल व्यवसाए संचालन के लिए बैठक कर सकता है, अपनी बैठकों को स्थगित एवं अन्यथा विनियमित कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे। कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

बैठक की सूचना :

45. प्रत्येक निदेशक को कंपनी में पंजीकृत उनके पते पर कम से कम सात दिन का लिखित नोटिस भेज कर बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी और ऐसी सूचना हाथ से , डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेजी जाएगी । अत्यावश्यक व्यापार करने के लिए बोर्ड की एक बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है, इस शर्त के अध्यधीन कि कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, बैठक में उपस्थित होगा, लेकिन बोर्ड की ऐसी बैठक से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के मामले में, ऐसी बैठक में लिए गए निर्णय सभी निदेशकों को परिचालित किए जाएंगे और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, के अनुसमर्थन पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

कोरम :

46. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई निदेशकों का कोरम होगा, जिसमें टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल द्वारा नामित न्यूनतम 1 (एक) निदेशक बैठक के दौरान उपस्थित होंगे। इस उप-धारा के तहत कोरम के प्रयोजनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-वीडियो विजुअल माध्यमों से निदेशकों की उपस्थिति को भी शामिल किया जाएगा।

कोरम की कमी से बैठक का स्थगन :

47. i) कोरम की कमी से बोर्ड की बैठक न हो सकने पर, बैठक आगामी सप्ताह में उसी दिन, समय एवं स्थान के लिए स्वत: स्थगित हो जाएगी या यदि उक्त दिवस राष्ट्रीय अवकाश का दिवस होता है तो उसी दिवस समय एवं स्थान के लिए स्थगित होगी जब तक की आने वाला दिवस राष्ट्रीय अवकाश का नहीं होगा । यदि आगामी स्थगित बैठक में भी कोरम पूरा नहीं होता है, तो स्थगित बैठक में उपस्थित निदेशक कोरम का गठन करेंगे।

ii) कंपनी की एक सामान्य बैठक को, जिसमें निदेशक या निदेशक कोरम के लिए निर्धारित संख्या में निदेशकों की संख्या बढ़ाने या बुलाने के उद्देश्य से आहूत कर सकते हैं तब तक नियमित निदेशक बोर्ड में कोई भी पद रिक्त होने के बावजूद कार्य कर सकते हैं; लेकिन, उनकी संख्या बोर्ड की बैठक के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित कोरम से कम हो।

बैठक कब बुलाई जानी है :

48. एक निदेशक एवं निदेशक की मांग पर प्रबंधक या सचिव किसी भी समय बोर्ड की बैठक बुला सकते हैं।

बोर्ड का अध्यक्ष

49. i) कंपनी का अध्यक्ष ही बोर्ड का अध्यक्ष होगा यदि इस प्रकार के किसी अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ है,या बैठक हेतु निर्धारित समय के 5 मिनट के अंदर अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो, बैठक में उपस्थित निदेशक सदस्यों में से किसी को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं ।

ii) अधिनियम में अन्य किए गए प्रावधानों के साथ,किसी भी बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा तथा मतों की समानता होने की स्थिति में, अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

मण्डल समितियाँ स्थापित कर सकता है :

50.i) अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, बोर्ड अपनी किसी भी शक्ति को ऐसे सदस्यों से मिलकर बनी समिति या इसके निकाय, जैसा यह उचित समझता है, को प्रत्यायोजित कर सकता है। इस प्रकार बनी कोई समिति, ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग ऐसे विनियमों के अनुरूप करेगी जो समय-समय पर निदेशकों द्वारा इस पर अधिरोपित किए जाएँगे।

ii) समिति अपनी बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है, यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया है या यदि किसी बैठक के निर्धारित समय के बाद 5 मिनट के अन्दर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।

iii) समिति बैठक का आयोजन एवं स्थगन कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे, किसी भी बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा तथा मतों की समानता होने की स्थिति में, अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

परिचालन द्वारा संकल्प:

51. कोई भी संकल्प बोर्ड या उसकी समिति द्वारा परिचालित रूप से तब तक सम्यक रूप से पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि संकल्प को सभी निदेशकों या सभी सदस्यों को आवश्यक कागजात, यदि कोई हो, के

साथ मसौदे में परिचालित नहीं किया गया है, जैसे ही वह समिति के रूप में ऐसे निदेशकों या सदस्यों द्वारा या उनमें से बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो संकल्प पर मतदान करने के हकदार हैं।

दोषपूर्ण नियुक्ति के बावजूद बोर्ड या समितियों के वैध कार्य:

52. i) बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक में या निदेशक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य, इस बात के होते हुए भी कि बाद में यह पता लगता है कि इनमें से किसी एक या अधिक की नियुक्ति में कुछ त्रुटि थी। ऐसे निदेशक या पूर्वोक्त के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति, या कि सभी या उनमें से किसी को अयोग्य घोषित किया गया था, इस रूप में मान्य होगा जैसे कि प्रत्येक ऐसे निदेशक या ऐसे व्यक्ति को विधिवत नियुक्त किया गया था और निदेशक बनने के लिए योग्य था।

ii) अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान के अलावा, लिखित रूप में एक संकल्प, बोर्ड या उसकी समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, जो फिलहाल बोर्ड या समिति की बैठक की सूचना प्राप्त करने का हकदार है, वह ऐसे मान्य और प्रभावी होगा जैसे इसे विधिवत आयोजित की गई बोर्ड या समिति की बैठक में पारित किया गया हो।

कार्यवृत्त:

53. कंपनी बोर्ड की प्रत्येक बैठक या सामान्य बैठक या निदेशक मंडल की समितियों की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत करेगी ।

मुहर:

54 i) निदेशक मण्डल कम्पनी के लिए एक आम मुहर का प्रावधान करेगा और समय-समय पर उसे नष्ट करने तथा उसके स्थान पर नई मुहर को प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा। निदेशक मण्डल मुहर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

ii) कम्पनी की मुहर बोर्ड या इसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की किसी समिति के संकल्प के सिवाय या कम से कम दो निदेशक तथा सचिव या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे बोर्ड/समिति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करे, की उपस्थिति के सिवाय किसी दस्तावेज पर नहीं लगाई जाएगी और ऐसे दो निदेशक या उपर्युक्त कोई अन्य व्यक्ति अपनी उपस्थिति में लगाई गई कंपनी की मुहर के दस्तावेज पर किसी भी माध्यम से हस्ताक्षर करेगा ।

लाभांश एवं अधिकार

लाभों का विभाजन

55. लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभ का भुगतान सदस्यों को इन दस्तावेजों के द्वारा निर्मित हुए या निर्मित होने के लिए प्राधिकृत के सिवाय किसी विशेष अधिकार और अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन किया जाएगा और इन दस्तावेज के प्रावधानों का अनुमोदन आरक्षित निधि के रूप में निदेशक मंडल से प्राप्त होना चाहिए ।

कंपनी आम बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है

56. कंपनी आम बैठक में सदस्यों को लाभांश देने की घोषणा कर सकती है परंतु भुगतान की गई पूंजी में भुगतान शेयरधारिता के अनुसार भुगतान के समय तय करेगी। लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा ।

अंतरिम लाभांश

57. निदेशक समय-समय पर सदस्यों को ऐसे अंतरिम लाभांशों का भुगतान कर सकते हैं जैसा उनके निर्णयानुसार कम्पनी की स्थिति औचित्यपूर्ण बनाती है।

लेखा

सदस्यों द्वारा कम्पनी के लेखों एवं बहियों का निरीक्षण

58. निदेशक मंडल समय-समय पर निर्धारित करेगा कि कम्पनी के लेखा और लेखा बहियों को सदस्यों, जो निदेशक नहीं हैं, के निरीक्षण के लिए किस हद तक और किस समय तथा स्थानों पर एवं किन परिस्थितियों या विनियमों के अधीन खुला रखें। किसी भी सदस्य (जो निदेशक नहीं हैं) को, सिवाय कानून द्वारा प्रदत्त या मण्डल द्वारा प्राधिकृत या आम बैठक में कम्पनी द्वारा प्राधिकृत के, कम्पनी के किसी भी लेखा या बहियों या दस्तावेज के निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा ।

लेखा परीक्षा

लेखों की वार्षिक लेखापरीक्षा होनी है

59. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक लेखापरीक्षकों, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया हो, के द्वारा कंपनी के लेखों की जाँच की जाएगी।

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

60. (i) कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा कंपनी के प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी,भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा उपर्युक्त अवधि में कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति न किए जाने पर, कंपनी का निदेशक मंडल आगामी 30 दिनों के भीतर इस प्रकार के लेखापरीक्षकों को नियुक्त करेगा, कंपनी के निदेशक मंडल का उक्त अवधि में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने में असफल होने पर, वे इसकी सूचना कंपनी के सदस्यों को प्रदान करेंगे जो साठ दिनों के भीतर विशिष्ट आम बैठक में इस प्रकार के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे, जो प्रथम आम बैठक के समापन तक पद पर बना रहेगा।

(ii) लेखापरीक्षक की अनुवर्ती नियुक्ति वित्तीय वर्ष के आधार पर, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो वार्षिक आम बैठक के समापन तक अपने कार्यालय में बने रहेगा।

(iii) लेखापरीक्षक की ऐसी नियुक्ति करने से पहले, कंपनी ऐसी नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षक की लिखित सहमति प्राप्त करेगी और उससे या इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगी कि नियुक्ति, यदि की जाती है, तो अधिनियम के तहत बनाए गए नियम शर्तों के अनुसार होगी।

(iv) लेखापरीक्षक के कार्यालय में अस्थायी रिक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा तीस दिनों के भीतर भरी जाएगी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसा न करने पर निदेशक मंडल के द्वारा अगले तीस दिनों के भीतर उक्त रिक्ति को भरा जाएगा।

(v) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निश्चित किए गए अनुसार निर्धारित किया जा सकता है । मंडल द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति के मामले में पारिश्रमिक का निर्धारण भी बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा ।

vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :-

क) उपर्युक्त अंतर्नियमों के अनुसरण में नियुक्त लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी के खाते का ऑडिट करने के तरीके को निर्देशित करने तथा ऐसे लेखा परीक्षकों को उनके कार्यो के निष्पादन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में निर्देश देने की शक्ति।

ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा कम्पनी के लेखों की अनुपूरक या जाँच लेखापरीक्षा करना जैसा कि वे इस संदर्भ में प्राधिकृत हों तथा ऐसी लेखापरीक्षाओं के प्रयोजन के लिए इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को और ऐसे रूप में सूचना या अतिरिक्त सूचना देना जैसा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करें ।

लेखापरीक्षक का बैठक में भाग लेने का अधिकार:

61. कंपनी के लेखापरीक्षक कंपनी की किसी आम बैठक में उपस्थित होने के लिए नोटिस प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें उनके द्वारा जांच और रिपोर्ट किए गए किसी भी लेखे को कंपनी के सम्मुख रखा जाना है और लेखों के संबंध में अपनी इच्छानुसार कोई विवरण या स्पष्टीकरण देना है ।

जब लेखा अंतिम रूप से समायोजित माना जाए :

62. कंपनी के प्रत्येक खाते की लेखापरीक्षा हो जाने और आम बैठक में अनुमोदित हो जाने पर निर्णायक माना जाता है।

क्षतिपूर्ति

क्षतिपूर्ति और उत्तरदायित्व

निदेशकों एवं अन्य को क्षतिपूर्ति का अधिकार :

63.(i) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन कंपनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, लेखापरीक्षक, सचिव या अन्य अधिकारी या कर्मचारी उसके द्वारा की गई किसी भी किसी देयता के विरुद्ध क्षतिपूरित किया जाएगा और सभी लागतें, हानियाँ एवं व्यय (यात्रा व्ययों सहित), जो निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी और कर्मचारी उसके या उनके द्वारा निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी या सेवक के रूप में की गई किसी संविदा, किए गए कार्य या विलेख के तहत या अन्य किसी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करने में, कर सकता है, का भुगतान कम्पनी निधि से करना निदेशकों का कर्तव्य होगा तथा वह राशि जिससे ऐसी क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है तत्काल कम्पनी की सम्पत्ति में ग्रहणाधिकार के रूप में जुड़ेगी और सदस्यों के मध्य अन्य सभी दावों पर प्राथमिक रहेगी।

(ii) पूर्वोक्त के अध्यधीन कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी, किसी भी कार्यवाहियों, चाहे दीवानी हो या आपराधिक, में बचाव करने में जिसमें निर्णय उसके या उनके पक्ष में दिया गया हो, या जिसमें वह या वे विमुक्त कर दिए गए हों या अधिनियम की धारा 463 के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में जिसमें उसे या उनको न्यायालय द्वारा राहत दी गई हो, में उसके या उनके द्वारा किए गए किन्हीं भी दायित्वों के विरुद्ध क्षतिपूरित होगा।

अन्यों के कृत्यों के लिए अधिकारी उत्तरदायी नहीं :

64. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन,कम्पनी का कोई निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, उपेक्षाओं या चूकों के लिए या किसी प्राप्ति या अनुरूपता के लिए अन्य कार्य में जुड़ने के लिए या निदेशक द्वारा कम्पनी की ओर से आदेश पर अधिगृहीत किसी सम्पत्ति के हक में किसी अपर्याप्तता या कमी के माध्यम से कम्पनी को हानि या खर्च के लिए या किसी प्रतिभूति में अपर्याप्तता या कमी जिस पर कम्पनी का कोई धन निवेश किया जाएगा के लिए या ऐसे व्यक्ति, कम्पनी या निगम जिसके साथ कोई धन, प्रतिभूति या चल सम्पत्ति सौंपी या जमा की जाएगी के दिवालिया या कपटता के कारण उत्पन्न हानि या क्षति के लिए, या किसी भी ऐसी हानि जो उसकी या उनकी ओर से निर्णय की त्रुटि या भूल के कारण घटित हुई हो के लिए या किसी अन्य हानि या क्षति या दुर्भाग्य जो कुछ भी हो, जो उसके या उनके कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में या तत्संबंधी हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ऐसा उसकी स्वयं की बेईमानी के कारण न हो।

सामान्य प्राधिकार :

65. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लागू प्रावधानों में जहां कहीं भी दिया गया है कि किसी कंपनी के पास कोई अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार होगा या कोई भी कंपनी कोई लेनदेन तभी कर सकती है जब कंपनी उसके लिए अधिकृत हो, मामले में यह विनियम कंपनी को इस तरह के अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार के लिए अधिकृत और सशक्त बनाता है और इस तरह के लेनदेन को करने के लिए अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई है, इसके लिए उस संबंध में कोई अन्य विशिष्ट विनियम नहीं है।

अन्य

गोपनीयता :

66.कोई भी सदस्य कम्पनी के व्यापार के विवरण या कोई अन्य मामला जो व्यापार गोपनीयता या कम्पनी के व्यवसाय आचरण से संबंधित गोपनीय प्रक्रिया की प्रकृति का है, किसी सूचना की खोज करवाने हेतु किसी निदेशक की अनुमति के बिना पात्र नहीं होगा।

प्रमोटर संयुक्त उपक्रम समझौता :

67. कंपनी 23 अक्टूबर, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड के मध्य निष्पादित संयुक्त उपक्रम-कम शेयर धारक समझौता ("शेयर धारक समझौता") को अपनाएगी। किसी भी संशोधन सहित प्रमोटर के समझौते को अपनाने पर, कंपनी उसी के लिए बाध्य होगी और मान्य कानून के अनुसार इसकी शर्तों को प्रभावी करेगी,यदि शेयरधारक समझौते की शर्तों एवं कंपनी के बाहिर्नियावली एवं आंतरिक

नियमावली के बीच कोई विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, तो कंपनी के बाहिर्नियावली एवं आंतरिक नियमावली को शेयर धारक समझौते की शर्तों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

अभिदानकर्ताओं का विवरण

क्र.सं.	अभिदानकर्ताओं का विवरण				
	अभिदानकर्ताओं के नाम, पते, विवरण एवं व्यवसाय	डिन/पैन /पासपोर्ट नं.	स्थान	डीएससी	दिनांक
1.	यूजेवीएन लिमिटेड महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून-248006 द्वारा श्री संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड	06615837	देहरादून	संदीप सिंघल	29/11/2023
2.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, बाईपास रोड ऋषिकेश – 249201 द्वारा – श्री राजीव कुमार विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल	08534217	ऋषिकेश	राजीव कुमार विश्नोई	29/11/2023
3.	श्री जुधिष्ठिर बेहेरा, प्रगतिपुरम बाईपास रोड, ऋषिकेश 249201	08536589	ऋषिकेश	जुधिष्ठिर बेहेरा	29/11/2023
4.	श्री शैलेन्द्र सिंह कौशल, प्रगतिपुरम बाईपास रोड, ऋषिकेश 249201	10191941	ऋषिकेश	शैलेन्द्र सिंह कौशल	29/11/2023
5.	श्री सुरेश चन्द्र बलूनी, महारानी बाग, जी.एस.एस. रोड, देहरादून -248006	08511540	देहरादून	सुरेश चन्द्र बलूनी	29/11/2023
6.	श्री भूपेन्द्र गुप्ता, प्रगतिपुरम बाईपास रोड ऋषिकेश 249201	06940941	ऋषिकेश	भूपेन्द्र गुप्ता	29/11/2023
7.	श्री अतुल भूषण गोयल, प्रगतिपुरम बाईपास रोड, ऋषिकेश 249001	एएटीपीजी1682के	ऋषिकेश	अतुल भूषण गोयल	29/11/2023

अनुलग्नक - II

भारत गैर न्यायिक

उत्तराखंड सरकार

ई- टिकट

प्रमाणपत्र संख्या	:	IN-UK83544210340257V
प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि	:	23-अक्टूबर-2023 10:24 पूर्वाह्न
खाता विवरण	:	एनओएनएसीसी(एसवी)/यूके1305304/देहरादून यूके-डीएच
दस्तावेज़ विवरण	:	एसयूबीआईएन-यूकेयूके13053047362085694328 1वी
द्वारा खरीदा गया	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
दस्तावेज़ का विवरण	:	अनुच्छेद 5 किसी समझौते की सहमति या ज्ञापन
संपत्ति विवरण	:	लागू नहीं
प्रतिफल मूल्य (रु.)	:	शून्य
पहला पक्ष	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
दूसरा पक्ष	:	यूजेवीएन लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क राशि (रु.)	:	1,000 (एक हजार रूपये मात्र)

"उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास"

हेतु

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

और

यूजेवीएन लिमिटेड के मध्य

संयुक्त उद्यम समझौता

सह

शेयरधारक समझौता

23 अक्टूबर 2023

संयुक्त उपक्रम सह शेयर धारक समझौता

यह संयुक्त उपक्रम समझौता-सह-शेयर धारक समझौता (संयुक्त उपक्रम-एसएचए) निम्नलिखित दो पक्षों के मध्य है:

प्रथम पक्ष के तहत, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, कंपनी (CIN U45203UR1988GOI009822) के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित की गई है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल-249001 में है(बाद में इसे टीएचडीसीआईएल के रूप में संदर्भित किया गया, जिसके अंर्तगत अन्य क्षेत्र में इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, उत्तराधिकारियों एवं नियुक्त व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है)

एवं

द्वीतीय पक्ष के तहत यूजेवीएन लिमिटेड, कंपनी (CIN: U40101UR2001SGC025866) के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित की गई है, जिसका पंजीकृत कार्यालय "उज्ज्वल" महारानी बाग, जी.एम.एस. रोड, देहरादून- 248006 में है। (बाद में इसे "यूजेवीएनएल" के रूप में संदर्भित किया गया, जिसके अंतर्गत अन्य सहायक कंपनियों, सहयोगियों, उत्तराधिकारियों एवं नियुक्त व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है);

(टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से पक्ष के रूप में और सामूहिक रूप से पक्षों के रूप में संदर्भित किया जाएगा)

जबकि

क. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड ने दोनों पक्षों के संसाधनों एवं जानकारी का इष्टतम उपयोग करते हुए उत्तराखंड राज्य में चिन्हित स्थलों पर जल विद्युत परियोजनाओं की अवधारणा, संरचना, कार्यान्वयन, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने में सहयोग करने हेतु 06 मार्च 2023 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

इस प्रकार, दोनों पक्षों टीएचडीसी एवं यूजेवीएनएल सहमत अंशभागिता(टीएचडीसी - 74% और यूजेवीएनएल 26%) के आधार पर संयुक्त उपक्रम कंपनी को गठित करने के लिए सहमत हैं जिसे नाम एवं प्रकार से जेवीसी(बाद में जेवीसी के रूप में संदर्भ में लिया जाएगा) के रूप में जाना जाएगा, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

ख. दोनों पक्ष व्यवसाय के संबंध में अपने संबंधित अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन एवं नियमित करने के लिए अपने संयुक्त उपक्रम सह-शेयर धारक समझौते (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) में संयुक्त उपक्रम कंपनी में सभी हितों का और उसके मामलों को नियंत्रित करने के लिए मालिक और सहयोगियों के रूप में (जैसा परिभाषित किया गया है) करने हेतु इच्छुक हैं।

1. **परिभाषाएँ और व्याख्या**

क. **अधिनियम** से आशय कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ लागू नियम, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

ख. **समझौते** का आशय, संयुक्त उपक्रम सह शेयर धारक समझौता और इसके साथ संलग्न अनुसूचियां शामिल हैं, जैसा कि समय समय पर संशोधित एवं पुनर्निधारित किया जाएं।

ग. **सहयोगियों** से आशय, किसी भी व्यक्ति के संबंध में, कोई अन्य व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को नियंत्रित करता है, या उसके साथ नियंत्रण एवं सामान्य नियंत्रण में है।

घ. **लागू कानून** से आशय, ऐसे लागू राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय या अन्य कानून, विनियम, प्रशासनिक आदेश, अध्यादेश, संविधान, डिक्री, सामान्य कानून के सिद्धांत, बाध्यकारी सरकारी नीतियां, क़ानून हैं तथा इनमें अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश, नीतियां, निर्देश एवं किसी भी सरकारी प्राधिकारी के निर्देश और आदेश सम्मिलित किए जाते हैं।

ड़. **बोर्ड** से आशय, कंपनी का निदेशक मंडल, जो खंड 7 के अनुसार नामित एवं नियुक्त किया जाता है।

च. **सीईओ** से आशय निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है।

छ. **अध्यक्ष** का अर्थ है बोर्ड का अध्यक्ष।

ज. **गोपनीय जानकारी** से आशय खंड 17 में दिए गए अनुसार है।

झ. **कंपनी** से आशय, उत्तराखंड राज्य में विभिन्न पक्षों द्वारा शर्तों के तहत गठित की जाने वाली संयुक्त उपक्रम कंपनी से, जिसका नाम और रूप पक्षों द्वारा उनकी सहमति के अनुसार निर्धारित किए गए हों।

ण. **वित्तीय वर्ष** से आशय, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(41) में परिभाषित वित्तीय वर्ष है।

त. **अप्रत्याशित घटना** का आशय ऐसी किसी भी घटना या परिस्थिति या घटनाओं या परिस्थितियों के मेल से है जो किसी पार्टी को समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व या कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकता है एवं पूर्ण रूप से अनियंत्रित हो जाती है। ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों में, बिना किसी सीमा के, किसी भी प्राकृतिक तत्व या राज्य या ईश्वर के अन्य कृत्यों का प्रभाव (आग, बाढ़, भूकंप, बिजली, चक्रवात, भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) सम्मिलित होते हैं।

थ. **एमओयू** से आशय, टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के मध्य दिनांक 06 मार्च, 2023 को निष्पादित समझौता ज्ञापन से है।

द. **बाह्य एवं आंतरिक नियमावली** से आशय, बाह्य एवं आंतरिक नियमावली, जो पक्षों की सहमति के अनुसार कंपनी के निगमन के लिए शेयरधारकों के मध्य किया और निष्पादित किया जाने वाला एक समझौता है, जो कि समय-समय पर पुनरीक्षित एवं संशोधित किए जा सकते हैं।

ध. **व्यक्ति** से आशय ऐसे किसी व्यक्ति, निगम, व्यवसाय, ट्रस्ट, संघ, कंपनी, साझेदारी, संयुक्त उपक्रम, सरकारी प्राधिकरण, या अन्य इकाई से होगा;

न. **पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता** से आशय, खंड 13 में दिए गए निबंधन/शर्तों से संबंधित है।

1.1 **व्याख्या:** इस अनुबंध में, जब तक कि विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा आवश्यक न हो,

(क) किसी अधिनियम या किसी अधिनियम की किसी भी धारा या किसी अधिनियम की अनुसूची या अन्य प्रावधान के किसी भी संदर्भ को विशेष समय पर उसके किसी भी संशोधन, विस्तार या पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जो तब लागू था और प्रासंगिक अधिनियम या प्रावधान के तहत उससे वैधता प्राप्त कर रहा था।

(ख) "निर्णय से आशय, भारतीय क्षेत्राधिकार में किसी भी आदेश, निषेधाज्ञा, निर्धारण, अवार्ड या अन्य न्यायिक या मध्यस्थ उपाय शामिल हैं जो अंतिम और बाध्यकारी है:

(ग) "विधि" से आशय सामान्य कानून, भारत का संविधान और कोई भी, डिक्री, निर्णय, कानून, निर्देश, आदेश, अध्यादेश, विनियमन, उपविधि क़ानून, अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश, नियम, वैधानिक साधन या अन्य विधायी उपाय, जिसके साथ पक्षों का कानून द्वारा अनुपालन करना आवश्यक है (और "वैध" और "अवैध" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा); सम्मिलित हैं।

(घ) एकवचन संख्या से आशय बहुवचन संख्या के विपरीत संख्या से रहेगा ।

(ड़) किसी विशेष खंड से आशय पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता हो, इस अनुबंध में या उसके लिए उस खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ से होगा।

(च) शीर्षक से आशय, सुविधा के लिए डाले और निर्माण के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिए गए शीर्षक से है, और

(छ) खंडों और अनुसूचियों के मध्य किसी भी अस्पष्टता या विसंगति के मामले में, यदि कोई हो, तो खंड मान्य होंगे।

1.2 कंपनी का उद्देश्य

संयुक्त उपक्रम कंपनी ("जेवीसी") का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में चरणवद्ध तरीके से विभिन्न स्थलों पर जल विद्युत परियोजनाओं का विकास, प्रचालन, अनुरक्षण करना है। कंपनी के उद्देश्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और बिक्री के लिए परियोजना रिपोर्ट की जांच, डिजाइन और तैयारी शामिल है। कंपनी विद्युत परियोजनाओं के विकास, वितरण उपयोगिताओं के लिए विद्युत की खरीद और बिक्री एवं अन्य विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं की तलाश के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ भी सहयोग करेगी। इसके अलावा, यह ट्रांसमिशन, वितरण और पावर ट्रेडिंग सहित जल और नवीकरणीय क्षेत्रों से संबंधित प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी अपनी बाह्य एवं आंतरिक नियमावली के अनुसार एवं समय-समय पर संशोधित किए जा सकने वाले अन्य उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाएगी।

2. पक्षों के दायित्व

2.1 टीएचडीसीआईएल के दायित्व

इस समझौते के तहत, टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी:

i) टीएचडीसीआईएल जेवीसी जेवी सह शेयरधारक समझौता, ज्ञापन, और बाह्य एवं आंतरिक नियमावली के अनुसार और आवश्यक अनुमोदन से संबंधित दस्तावेज तैयार करेगी और इसके निगमन के लिए प्रभावी पहल करेगी।

ii) इस समझौते के खंड 3.6 के अध्यधीन, टीएचडीसीआईएल इक्विटी, जैसा कि जेवीसी को कंपनी में अपनी इक्विटी शेयरधारिता के लिए समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है के लिए सहयोग प्रदान करेगी।

iii) टीएचडीसीआईएल विद्युत परियोजनाओं के प्रचालन, अनुरक्षण एवं विकास के लिए परियोजना रिपोर्ट (पूर्व-व्यवहार्यता और विस्तृत) तैयार करने में जेवीसी को मार्गदर्शन/सहायता/सलाह देगी।

iv) टीएचडीसीआईएल जेवीसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में 4 (चार) अधिकारियों को नामित करेगी।

v) टीएचडीसीआईएल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहायता, यदि कोई हो, बहुपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से ऋण सहित धन की व्यवस्था करने में जेवीसी की सहायता करेगी।

vi) कोई अन्य जिम्मेदारी जो दोनों पक्ष उपयुक्त और उचित समझें।

2.2 यूजेवीएनएल के दायित्व

इस समझौते के तहत, यूजेवीएनएल निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा:

i) यूजेवीएनएल आवश्यकता के अनुसार जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए जेवीसी को सरकारी भूमि और निजी भूमि की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करेगा;

ii) यूजेवीएनएल पुनर्वास और पुनर्स्थापन, वन मंजूरी आदि सहित परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने में संबंधित मंत्रालय और अन्य सरकारी प्राधिकरणों, यदि कोई हो, में जेवीसी की सहायता करेगा।

iii) इस समझौते के खंड 3.6 के अध्यधीन, यूजेवीएनएल अपनी अंशभागिता की सीमा तक जेवीसी को समय-समय पर आवश्यक धनराशि का योगदान देगा।

iv) यूजेवीएनएल जेवीसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में दो (2) अधिकारियों को नामित करेगा।

v) कोई अन्य जिम्मेदारी जो दोनों पक्ष उपयुक्त और उचित समझें।

2.3 जेवीसी के दायित्व

i. जेवीसी अन्वेषण, अनुसंधान, परिकल्प, प्रारंभिक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और उत्पादन से लेकर सभी बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं सहित परियोजनाओं की योजना, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करेगा।

ii. जेवीसी, भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत परियोजना को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के तहत आवश्यक पर्यावरणीय, भूमि उपयोग आदि सहित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करेगा ।

iii. जेवीसी जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए बोली गतिविधियों के माध्यम से आवश्यक सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, विद्युत निकासी और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करेगा।

iv. जेवीसी अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण आवश्यक निधि की व्यवस्था करेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार धनराशि इक्विटी और ऋण के माध्यम से जुटाई जाएगी।

v. जेवीसी संबंधित पार्टी/प्रमोटर द्वारा किए गए सभी निगमन पूर्व खर्चों जिसमें परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर व्यय, और कानूनी/गठन, और अन्य खर्च, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति, टीएचडीसीआईएल को करेगी ।

vi. जेवीसी कंपनी के बाह्य नियमावली में निहित सभी उद्देश्यों का भी पालन करेगी और कंपनी के आंतरिक नियमावली के अनुसार ऐसे सभी उद्देश्यों को लागू करेगी।

vii. जेवीसी सीटीयू/एसटीयूएस/राज्य ऊर्जा विभाग के साथ जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार निकासी कनेक्टिविटी पर काम की सुविधा प्रदान करने हेतु समन्वय स्थापित करेगा।

viii. जेवीसी जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए आवश्यक सभी अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करेगी।

ix. जेवीसी राज्य के भीतर निर्धारित स्थान पर कार्यालय की स्थापना के लिए जगह की व्यवस्था करेगी जहां से विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा सकें।

x. जेवीसी ऋणदाताओं को लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। कोई भी पक्ष अर्थात टीएचडीसीआईएल और/या यूजेवीएन लिमिटेड किसी भी स्तर पर जेवीसी की ओर से ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3. निगमन और अंशभागिता

3.1 विभिन्न पक्षों के प्रयासों से भारतीय संघ के कानूनों के तहत उन उद्देश्यों जिनका यहां प्रावधान किया गया है, को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उपक्रम कंपनी संस्थापित की गई है।

3.2 जेवीसी को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 26 ईसी रोड, देहरादून, 248001, उत्तराखंड में होगा।

3.3 प्राधिकृत शेयर पूंजी, प्रारंभ में, 50 करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) होगी, जिसे प्रत्येक 10 रुपये के 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा। पक्षों के मध्य शेयरधारिता का प्रतिशत निम्नलिखित अनुपात में होगा:

क्र.सं.	**शेयरधारकों का नाम**	**अंशभागिता का प्रतिशत**
1	टीएचडीसीआईएल	74
2	यूजेवीएनएल	26

हालाँकि, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से, किसी भी पक्ष की इक्विटी अंशभागिता का अनुपात बढ़ाया/घटाया जा सकता है, बशर्ते कि टीएचडीसीआईएल की न्यूनतम अंशभागिता 51% के बराबर या उससे अधिक हो।

3.4 जेवीसी की प्रारंभिक सदस्यता और भुगतान पूंजी दोनों पक्षों द्वारा निगमन के साठ दिनों के भीतर उपरोक्त सहमत अनुपात में 10 (दस) करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। बाद में प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी में कोई भी वृद्धि जेवीसी बोर्ड के निर्णय के अनुसार होगी।

3.5 जहां तक सब्स्क्राइब्ड पूंजी के लिए यूजेवीएनएल के इक्विटी योगदान का संबंध है, सब्स्क्राइब्ड पूंजी के लिए प्रारंभिक पूंजी योगदान, हालांकि यूजेवीएनएल द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 10 ए के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय की शुरुआत सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

3.6 यूजेवीएनएल परियोजना का निर्माण शुरू होने पर यानी जेवीसी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले परियोजना के सिविल कार्यों के अवार्ड के प्रारंभिक दिनों में परियोजना विशिष्ट आधार पर सब्स्क्राइब्ड पूंजी से परे इक्विटी का योगदान देगा। ऐसे समय तक, इक्विटी आवश्यकता का योगदान केवल टीएचडीसीआईएल द्वारा किया जाएगा, इससे यूजेवीएनएल के 26% वोटिंग अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.7 बाह्य एवं आंतरिक नियमावली के सदस्य निम्नानुसार 7 सदस्य होंगे:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्री आर.के.विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया गया	73,99,996 (तिहत्तर लाख निन्यानवे हजार नौ सौ छियानवे)
2	श्री जे.बेहेरा निदेशक (वित्त), टीएचडीसीआईएल	01
3	श्री शैलेंद्र सिंह निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल	01
4	श्री भूपेंद्र गुप्ता निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल	01
5	श्री ए.बी.गोयल, कार्यपालक निदेशक (वित्त), टीएचडीसीआईएल	01
6	श्री संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक, यूजेवीएनएल के द्वारा यूजेवीएनएल लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया गया	25,99,999 (पच्चीस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ निन्यानबे)
7	श्री सुरेश चंद्र बलूनी निदेशक (परियोजनाएं), यूजेवीएनएल	01

3.8 प्रत्येक पक्ष अपने संबंधित नामित निदेशकों को इस अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुरूप और अनुपालन में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सहमत करेगा। पक्ष ऐसे सभी कार्य करेंगी और अपनी इक्विटी अंशभागिता के संबंध में स्वयं या संबंधित प्रॉक्सी या प्रतिनिधियों के माध्यम से मतदान करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया जाता है।

4. **<u>बहिर्गमन और पहले अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर)/शेयरों का हस्तांतरण/ लॉक-इन अवधि</u>**

कोई भी पक्ष किसी भी अवसर पर एवं किसी भी समय संयुक्त उपक्रम कंपनी के निगमन की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की समाप्ति तक जेवीसी में अपनी अंशभागिता विक्रय एवं स्थानांतरित नहीं कर सकता।

उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात या पारस्परिक रूप से सहमत हो सकने वाली अवधि के पश्चात किसी भी पक्ष द्वारा जेवीसी में अंशभागिता के विक्रय की स्थिति में, विक्रय करने वाला पक्ष शेयरो की बिक्री के लिए अन्य पक्ष को पेशकश करेगा। विक्रय की पेशकश के 30 दिनों के भीतर या विक्रय करने वाले पक्ष द्वारा वृद्धि की गई अवधि के भीतर, अन्य जारी शेयरधारक खरीदने के विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं, विक्रय करने वाला पक्ष अपनी अंशभागिता को अपनी सुविधानुसार व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त उल्लिखित लॉक-इन अवधि के अध्यधीन, यदि कोई पक्ष ("विक्रेता") अपने शेयरों को हस्तांतरित करना चाहता है, तो हस्तांतरण निम्नानुसार प्रभावी होगा:

i. विक्रेता पक्ष गैर-बिक्री करने वाले पक्ष को ब्याज विक्रय करने के अपने उद्देश्य को निर्दिष्ट करते हुए लिखित सूचना प्रदान करेगा। नोटिस में प्रस्तावित बिक्री मूल्य और प्रस्तावित बिक्री के अन्य सभी महत्वपूर्ण नियम और शर्तें समाहित होंगी।

ii. नोटिस प्राप्त होने पर, गैर-बिक्री करने वाले पक्ष को 30 दिनों की अवधि के लिए या विक्रेता पक्ष द्वारा विस्तारित अवधि के लिए, उसी कीमत पर और नोटिस में निर्दिष्ट समान नियमों और शर्तों के तहत ब्याज खरीदने का विशेष अधिकार होगा।

iii. यदि गैर-विक्रय पक्ष ब्याज खरीदने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर विक्रय पक्ष को लिखित सूचना प्रदान करेगा।

iv. यदि गैर-विक्रय पक्ष निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो विक्रय पक्ष नोटिस में निर्दिष्ट समान नियमों और शर्तों पर किसी तीसरे पक्ष को ब्याज विक्रय कर सकता है।

v. यदि गैर-बिक्री करने वाला पक्ष अपने अधिकार का प्रयोग करता है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 के अनुपालन में, हस्तांतरण का एक उचित साधन हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरक की ओर से विधिवत मुद्रांकित, दिनांकित और निष्पादन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ निष्पादित किया जाना है।

vi. कंपनी आवंटित प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र हस्तांतरण के दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर वितरित करेगी।

5. **<u>शेयरों का मूल्यांकन</u>**

शेयरों के मूल्य का निर्धारण करने में, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित योग्य पंजीकृत मूल्यांकक, शेयरों का मूल्यांकक होगा। विक्रय पक्ष मूल्यांकनकर्ता की सेवाएं लेगा और वह मूल्यांकन संबंधित पक्षों के लिए आधार होगा। मूल्यांकन की लागत विक्रय पक्ष द्वारा वहन की जाएगी।

6 धन जुटाना

6.1 खंड 3.6 के अध्यधीन, कंपनी व्यापार योजना की आवश्यकता के अनुसार शेयरधारकों को नोटिस में निर्दिष्ट इक्विटी योगदान करने के लिए ड्रॉ डाउन नोटिस जारी करके बुलाएगी, जो प्रेषण के लिए कम से कम 30 (तीस) दिन प्रदान करेगी। इक्विटी योगदान का और उस बैंक खाते को भी निर्दिष्ट करेगी जिसमें भेजी गई रकम का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त नोटिस प्राप्त होने पर, शेयरधारक नोटिस में निर्दिष्ट अनुसार अपनी संबंधित इक्विटी जमा करेंगे।

6.2 कंपनी, आवश्यकतानुसार ऐसे वित्तीय संस्थानों को शामिल कर सकती है जो नए निवेशक बनने के इच्छुक हों। उस परिदृश्य में, दोनों पक्ष नए निवेशक के हित में पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार अपनी इक्विटी को कम कर देंगे।

6.3 कंपनी ऋणदाताओं/शेयरधारकों से ऋण निधि जुटा सकती है और/या बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए विवेकपूर्ण और नवीन वित्तपोषण तकनीकों के अन्य रूपों को अपना सकती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी के वित्तपोषण समझौतों के नियमों और शर्तों का यथासंभव पालन करने में एक-दूसरे के साथ सहयोग करना होगा। हालाँकि, किसी भी पक्ष को कोई कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7. निदेशक मंडल

7.1 जेवीसी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। बोर्ड की सदस्य संख्या 03 (तीन) से कम और 08 (आठ) से अधिक नहीं होगी जिसमें पूर्णकालिक और/या अंशकालिक निदेशक शामिल होंगे।

7.2 टीएचडीसीआईएल को कंपनी के अध्यक्ष सहित 4 (चार) सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा एवं यूजेवीएनएल को जेवीसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में 2 (दो) सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा, जब तक कि इन पार्टियों के पास उपर्युक्त उल्लिखित अंशभागिता का प्रतिशत बना रहेगा। प्रमोटरों के नामित व्यक्तियों के रूप में निदेशकों की बाद में नियुक्ति, यदि कोई हो, उसी अनुपात में होगी। प्रत्येक पार्टी को किसी भी समय नामित को हटाने या प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा।

7.3 बोर्ड में, जब तक कि पार्टियों के बीच अन्यथा सहमति न हो, कंपनी के निम्नलिखित निदेशक ("प्रथम निदेशक") शामिल होंगे:

क्र. सं.	**निदेशक का नाम**	**पद**	**प्रतिनिधित्व**
1	श्री आर.के.विश्नोई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक	टीएचडीसीआईएल
2	श्री भूपेंद्र गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	नामित निदेशक	टीएचडीसीआईएल
3	श्री एल. पी. जोशी, कार्यपालक निदेशक (टीसी)	नामित निदेशक	टीएचडीसीआईएल
4	श्री ए.बी. गोयल, कार्यपालक निदेशक (वित्त)	नामित निदेशक	टीएचडीसीआईएल
5	श्री संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक	नामित निदेशक	यूजेवीएनएल
6	श्री सुरेश चंद्र बलूनी निदेशक (परियोजनाएं)	नामित निदेशक	यूजेवीएनएल

7.4 अध्यक्ष

पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि जेवीसी के बोर्ड का अध्यक्ष टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष होगा। बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

7.5 निदेशकों की नियुक्ति

लागू कानून के तहत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता की स्थिति में, निदेशक मंडल ऐसे व्यक्ति(यों) को नियुक्त करेगा जो उन्हें उपयुक्त लगे। यदि कोई निदेशक अधिनियम के अधीन एक वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करना चाहता है, तो बोर्ड इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ऐसे निदेशक के लिए एक वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करेगा। ऐसे लिखित नोटिस में वैकल्पिक निदेशक का नाम और विवरण निर्दिष्ट होगा।

7.6 निदेशकों की सेवानिवृत्ति

निदेशक जो शेयरधारक की कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है, प्रमोटर-कंपनी का अधिकारी नहीं रहने पर निदेशक नहीं रहेगा और प्रमोटर-कंपनी उस स्थिति में, उत्पन्न हुई रिक्ति को भर देगी। पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो संयुक्त उपक्रम कंपनी के सेवा नियमों की शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अंशकालिक निदेशक नियुक्ति की अवधि, यदि कोई हो, समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

7.7 निदेशकों का पारिश्रमिक
(नियुक्त होने पर, केवल पूर्णकालिक निदेशकों पर लागू)

कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए भत्तों के तहत निदेशकों को भत्तों का भुगतान किया जाएगा । कंपनी के अधिनियम और अनुच्छेदों के प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसा उचित पारिश्रमिक, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, किसी एक या अधिक निदेशकों को उनके या उनके द्वारा या अन्यथा प्रदान की गई अतिरिक्त या विशेष सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा।

7.8 प्रबंधन

जेवीसी के सीईओ की नियुक्ति जेवी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। जेवीसी का प्रबंधन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अधिकारियों की टीम द्वारा किया जाएगा। निदेशक मंडल आवश्यकतानुसार सांविधिक पदों और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन पदों को भरने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करेगा।

आगे इस बात पर भी सहमति हुई है कि आवश्यकता के अध्यधीन जेवीसी में पार्टियों की वास्तविक हिस्सेदारी के अनुपात में मानव शक्ति संसाधनों को जेवीसी में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। हालाँकि, प्रस्तावित जेवी कंपनी में यूजेवीएनएल से कर्मचारियों की संख्या की प्रतिनियुक्ति और यूजेवीएनएल को लाभांश का भुगतान केवल यूजेवीएनएल द्वारा योगदान की गई वास्तविक प्रदत्त पूंजी पर होगा, यह उनके पास वोटिंग अधिकारों के प्रतिशत पर निर्भर नहीं करेगा।

7.9 कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई होगा, बशर्ते कि प्रत्येक बैठक में प्रत्येक पक्ष का न्यूनतम 1 (एक) नामित निदेशक उपस्थित हो। जहां कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, उस स्थिति में बैठक स्वचालित रूप से उसी दिन, उसी समय और स्थान पर अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाएगी यदि वह दिन राष्ट्रीय अवकाश है, तो उससे अगले दिन उसी समय और स्थान पर, परंतु

वह भी राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए। यदि स्थगित बोर्ड बैठक में भी कोरम पूरा नहीं होता है तो स्थगित बैठक में उपस्थित निदेशक कोरम पूरा करेंगे।

8. सामान्य बैठकें

8.1 बोर्ड का अध्यक्ष शेयरधारकों की प्रत्येक आम बैठक के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा। बोर्ड द्वारा कोई भी निदेशक/प्राधिकृत व्यक्ति, कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक बुला सकता है। शेयरधारक आतंरिक नियमावली एवं अधिनियम द्वारा अनुमत सीमा तक, शेयरधारकों की विशेष बैठकें बुला सकते हैं।

8.2 कोरम: शेयरधारकों की बैठकों के लिए कोरम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कम से कम 5 (पांच) सदस्यों की उपस्थिति से गठित किया जाएगा जिसमें टीएचडीसीआईएल का 1 (एक) प्रतिनिधि और यूजेवीएनएल का 1 (एक) प्रतिनिधि शामिल होगा। यदि सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद नहीं है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और यदि स्थगित बैठक में भी, आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद नहीं है, बैठक आयोजित करने के लिए नियुक्त सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होगा।

9. निर्णय लेना और प्रबंधन

बोर्ड की शक्तियाँ - इस समझौते में या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्दिष्ट के अलावा, बोर्ड के पास कंपनी की गतिविधियों को निर्देशित करने की पूरी शक्ति होगी। कंपनी का दैनिक प्रबंधन और संचालन अनुमोदित व्यवसाय योजना के अनुसार और इस समझौते की शर्तों के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को सौंपा जाएगा।

10. खाते और लेखापरीक्षा

10.1 खाते और रिकॉर्ड - कंपनी के खाते, रिकॉर्ड एवं अन्य संबंधित सूचनाएं कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार और ऑडिट की जाएगी।

10.2 रिकॉर्ड तक पहुंच- प्रत्येक शेयरधारक सामान्य कार्य घंटों के दौरान और अपनी लागत पर कंपनी की सभी बुक्स, खातों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए पूर्ण रूप से हकदार है।

11. लाभांश नीति

अधिनियम के प्रावधानों और अन्य लागू नियमों/विनियमों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, सहमति और अनुबंध किया जाता है कि कंपनी शेयरधारकों के मध्य उनकी वास्तविक शेयरधारिता के अनुपात में लाभांश वितरित करेगी।

12. मुफ़्त विद्युत

जेवीसी कंपनी उत्तराखंड सरकार की समय-समय पर अधिसूचित नीति के अनुसार प्रत्येक विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत के प्रतिशत पर मुफ्त विद्युत प्रदान करेगी। जेवीसी से उत्पन्न विद्युत के लिए प्रतिषेध का पहला अधिकार उत्तराखंड सरकार के पास रहेगा।

13. परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

यूजेवीएनएल या टीएचडीसीआईएल जेवीसी में अपने इक्विटी योगदान के बदले अपनी परिसंपत्तियां जेवीसी कंपनी को हस्तांतरित कर सकती है। इस बात पर सहमति है कि जिन परिसंपत्तियों को हस्तांतरित किया जाएगा, वे कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोगी हैं और हस्तांतरण की तिथि पर परिसंपत्तियों का मूल्य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 247 के अनुसार प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 को कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम 2017 से संबद्ध माना जाता है। एक बार जब मूल्य अधिकतम निर्धारित हो जाता है और निदेशक मंडल की सहमति के उपरांत जेवीसी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भारतीय रुपये में भुगतान की व्यवस्था करेगा। जहां विक्रेता नकदी के बदले पूर्ण-भुगतान वाले शेयरों का विकल्प चुनता है, वहां जेवीसी उतनी संख्या में पूर्ण-भुगतान वाले शेयर जारी करेगा जितना कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। यदि मूल्यांकन में कोई अंश है, तो ऐसे अंश को निकटतम 10 रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा ताकि एक इक्विटी शेयर बनाया जा सके। परिसंपत्तियों के कथित हस्तांतरण और नकदी के अलावा अन्य विचार के लिए शेयरों के आवंटन के पश्चात भी, समझौते की शर्तों के अनुसार यूजेवीएनएल या टीएचडीसीआईएल द्वारा रखी जाने वाली इक्विटी के सहमत प्रतिशत में कोई कमी आती है, तो ऐसी कमी को यूजेवीएनएल या टीएचडीसीआईएल द्वारा नकद भुगतान द्वारा पूरा किया जाएगा।

14. यूजेवीएनएल को मतदान का अधिकार

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और शेयर पूंजी और उसके मतदान अधिकारों को नियंत्रित करने वाले ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के अध्यधीन, पार्टियां एतद्द्वारा स्वीकार करती हैं कि उनकी शेयरधारिता का प्रतिशत मतदान अधिकारों का प्रतिशत है। सामान्य बैठकों में सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर विचार किए जाने वाले मामलों में, शेयरधारिता के प्रतिशत के बावजूद, बैठक में उपस्थित सदस्यों, चाहे वह असाधारण हो या वार्षिक आम बैठक, के पास समान मतदान अधिकार होते हैं।

यूजेवीएनएल द्वारा जेवीसी में अंशभागिता के प्रतिशत के बावजूद जब मतदान की मांग की जाती है यूजेवीएनएल को 26% मतदान अधिकार का प्रयोग करना होगा किसी मामले पर विचार करने हेतु मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए यूजेवीएनएल को अनुमति प्रदान करने के लिए सहमति बनी है।

15. पावती, वारंटी और प्रतिनिधित्व

15.1 प्रत्येक पक्ष इसके द्वारा अन्य पक्षों को निम्नलिखित तिथि के अनुसार प्रतिनिधित्व और आश्वासन देता है:

i. यह निगमन के अधिकार क्षेत्र के कानूनों के तहत विधिवत गठित और वैध रूप से विद्यमान है।

ii. इसके पास अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है, और इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को निष्पादित करने, वितरित करने और प्रयोग करने और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है।

iii. यह समझौता और इसके द्वारा निष्पादित किया जाने वाला प्रत्येक दस्तावेज़ इसकी तारीख पर है, या, जब प्रासंगिक दस्तावेज़ निष्पादित किया जाएगा, तब कानूनी, वैध और उस पर बाध्यकारी होगा, और इसकी शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य होगा; और

iv. इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के परिणामस्वरूप किसी भी नियम या प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा, या किसी भी निर्णय, डिक्री, या अन्य समझौते या साधन के तहत कोई चूक नहीं होगी, जिसमें यह एक पार्टी सम्मिलित है या जिसके द्वारा यह नियंत्रित है।

16. बौद्धिक संपदा अधिकार

संयुक्त उपक्रम कंपनी के निगमन के बाद कोई भी बौद्धिक संपदा अधिकार (बिना किसी सीमा के, पेटेंट, ट्रेडमार्क (कंपनी के नाम सहित), सेवा चिह्न, पंजीकृत डिजाइन, कॉपीराइट, डेटाबेस अधिकार, डिजाइन में अधिकार, आविष्कार और गोपनीय जानकारी सहित) व्यवसाय के संबंध में जो भी उत्पन्न होगा वह जेवीसी का होगा।

17. गोपनीयता

17.1 प्रत्येक पक्ष, खंड 17.2 और 17.3 के अध्यधीन, इस समझौते की अवधि के दौरान लागू कानून के तहत इस समझौते के अनुसरण में कार्य करने वाले किसी भी अन्य पक्ष (पार्टियों) द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारियां समूह या समूह से संबंधित किसी भी सूचना की प्रमणिकता के लिए प्रतिबद्ध है। व्यवसाय (सामूहिक रूप से "गोपनीय सूचना") पूर्ण रूप से गोपनीय है और प्रत्येक पक्ष के लिखित समझौते के बिना, उसके संबंध में कोई सार्वजनिक या निजी घोषणा नहीं की जा सकती। यदि कोई पक्ष किसी भी शेयर को रखना बंद कर देती है, तो यह खंड उस पक्ष के संबंध में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब ऐसे पक्ष किसी भी शेयर को रखना बंद कर देगी।

17.2 एक पक्ष गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर सकती है:

क) इसके कर्मचारी, शेयरधारक, या प्रबंधन बोर्ड (प्राप्तकर्ता) द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकटीकरण आवश्यक है और प्राप्तकर्ता खंड 17.1 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित होंगे।

ख) पार्टी का एक नियामक प्राधिकारी और सक्षम क्षेत्राधिकार वाला कोई भी न्यायालय, यदि और जिस सीमा तक ऐसे नियामक प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकटीकरण की सूचना तुरंत दूसरे पक्ष को दी जाएगी।

इस खंड 17 में गोपनीय जानकारी के संबंध में, जिस पार्टी को गोपनीय जानकारी का वह अंश प्राप्त हुआ है, उसे इसके बाद "प्राप्तकर्ता पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और वह पार्टी जो गोपनीय जानकारी के उस अंश का खुलासा करती है, उसे इसके बाद "प्रकटिकरण पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

17.3 इसमें शामिल दायित्व किसी भी गोपनीय जानकारी पर लागू नहीं होंगे जो इस अनुबंध की तिथि के भीतर या उसके बाद किसी भी समय इस अनुबंध के उल्लंघन के अलावा या किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के अलावा सार्वजनिक डोमेन में आती है लागू कानून या न्यायालय आदेश द्वारा आवश्यक है।

18. विवादों का निपटारा

18.1 कोई भी मामला जो यहां निर्धारित नहीं है, साथ ही साथ पार्टियों के मध्य कोई भी मतभेद को पार्टियों द्वारा आपसी चर्चा के आधार पर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा।

18.2 यदि पार्टियां आपसी परामर्श/सद्भावना से ऐसे विवाद या मतभेदों को हल करने में विफल रहती हैं, तो विवाद को तथाकथित विषय में समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देश, नवीनीकरण और पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में समाधान हेतु भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सीपीएसईएस विवादों(एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के पास भेजा जाएगा।

18.3 उत्तराखंड के न्यायालयों का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

19. समझौते में संशोधन

19.1 यह जेवी-एसएचए अपने विषय के बारे में पार्टियों की समझ का प्रतीक है और इस समझौते के दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित लिखित रूप को छोड़कर इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। किसी भी परिवर्तन को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और इस अनुबंध के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

19.2 यह समझौता इसके विषय से संबंधित पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते का गठन करता है, जो 6 मार्च, 2023 को निष्पादित एमओयू सहित मौखिक या लिखित सभी पूर्व समझौतों या उपक्रमों, का स्थान लेता है। इस समझौते के निष्पादन से पहले पार्टियों के बीच बातचीत में कही या

लिखी गई किसी भी बात से कोई अनुबंध, वादा, कर्तव्य, वचन, वादा, कर्तव्य, दायित्व, संयोजक, शर्त, प्रतिनिधित्व, वारंटी या गारंटी वैध या निहित नहीं मानी जाएगी और न ही किसी पार्टी को इसकी अनुमति होगी। किसी अन्य पक्ष द्वारा इस समझौते की तारीख से पहले दिए गए किसी भी असत्य बयान के संबंध में कोई भी उपाय, जब तक कि ऐसा बयान इस समझौते में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया गया हो।

20. कार्यभार

किसी भी पक्ष को प्रत्येक अन्य पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते को इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को निर्दिष्ट, स्थानांतरित या हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

21. समाप्ति

21.1 निम्नलिखित में से एक या अधिक घटनाएँ घटित होने पर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है:

क) पार्टियों के मध्य चर्चा के आधार पर आपसी सहमति से;

ख) किसी भी पक्ष द्वारा, कंपनी के दिवालियापन, विघटन या समापन पर;

ग) डिफॉल्ट करने वाले पक्ष द्वारा डिफॉल्ट की कोई ऐसी घटना जो अप्रत्याशित न हो,

घ) किसी भी पार्टी द्वारा, यदि कोई सरकारी प्राधिकरण कोई लागू कानून पारित करता है जो किसी भी पार्टी को अपनी इक्विटी प्रतिभूति को स्थानांतरित करने या अन्यथा अलग करने के लिए मजबूर करता है,

ड़) एक पक्ष की सभी इक्विटी प्रतिभूतियों को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर, या बशर्ते, एक पार्टी अप्रत्याशित घटना के कारण दूसरे पक्ष को हुई किसी भी हानि, चोट, देरी, क्षति या अन्य दुर्घटना के लिए, और किसी भी पार्टी द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में किसी भी विफलता या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इस समझौते के तहत अप्रत्याशित घटना के कारण इसे इस समझौते का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

21.2 समाप्ति का प्रभाव- इस समझौते की समाप्ति किसी भी पार्टी के किसी भी दावे या कार्रवाई के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जो पहले अन्य पार्टियों के खिलाफ अर्जित की गई थी, जब तक कि पार्टियों के आपसी समझौते द्वारा लिखित रूप में छूट न दी गई हो।

22. नोटिस

22.1 इस अनुबंध के तहत प्रत्येक नोटिस या संचार लिखित और व्यक्तिगत रूप से वितरित या डाक के साथ-साथ कूरियर या फैक्स के साथ-साथ ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है।

22.2 नोटिस या संचार की सेवा के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक पक्ष का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	**टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड**	**यूजेवीएनएल लिमिटेड**
अधिकारी का नाम	श्री संदीप कुमार	श्री सुनील कुमार जोशी
पद का नाम	म.प्र.(उत्तराखण्ड जलविद्युत उपक्रम)	म.प्र. (सीडीएच एवं एनपी)
कार्यालय का पता	26, ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड 248001	जीएमएस रोड, महारानी बाग, उज्जवल, देहरादून-248001
ईमेल	sandeepkumar@thdc.co.in	gmcdhnp.16.01.2023@gmail.com
फैक्स		
संपर्क संख्या	9012480808	9456590478

23. क्षतिपूर्ति

लागू कानून के अध्यधीन, पार्टियां कंपनी द्वारा सभी दस्तावेजों, कागजातों को समय पर दाखिल करने में किसी भी विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ पार्टियों के साथ-साथ कंपनी के अधिकारियों, निदेशकों और प्रमुख कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, बचाव और जानबूझकर चूक या लापरवाही के अलावा, लागू कानून के तहत आवश्यक सरकारी अधिकारियों के पास हानिरहित जानकारी रखने के लिए सहमत हैं।

24. कोई छूट नहीं

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में किसी भी पक्ष द्वारा कोई विफलता या देरी छूट के रूप में कार्य नहीं करेगी। किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का कोई भी एकल या आंशिक प्रयोग उस पक्ष द्वारा किसी भी आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या उपाय के प्रयोग को नहीं रोकेगा। पूर्वोक्त को सीमित किए बिना, किसी भी पक्ष द्वारा इसके किसी भी प्रावधान के किसी भी उल्लंघन की छूट को उस या उसके किसी भी अन्य प्रावधान के किसी भी बाद के उल्लंघन की छूट नहीं माना जाएगा।

25. आंतरिक नियमावली के उपबंध

25.1 पार्टियां संयुक्त उपक्रम कंपनी अंतर्नियमावली के अंत में इस समझौते का संदर्भ देने के लिए सहमत हैं।

25.2 पार्टियां इस समझौते के नियमों और शर्तों के संदर्भ को प्रतिबिंबित करके या इसमें शामिल करके कंपनी के बहिर्नियमावली एवं अंतर्नियमावली को तैयार करने और मसौदा तैयार करने के लिए सहमत हैं।

26. **प्रतिपक्ष**

इस समझौते को 2 (दो) समकक्षों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक निष्पादित और वितरित होने पर मूल होगा, लेकिन सभी समकक्ष एक साथ एक और एक ही साधन निर्माण करेंगे।

इसके साक्ष्य में, पार्टियों ने इस समझौते पर 23 अक्टूबर, 2023 को हस्ताक्षर किए है।

के लिए और ओर से	के लिए और ओर से
टीएचडीसी इंडिया	यूजेवीएन लिमिटेड
भूपेन्द्र गुप्ता निदेशक(तकनीकी) टीएचडीसी इंडिया	संदीप सिंघल प्रबंध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड